PAC, by collective wisdom, should ensure that the clustering / grading / pass-fail decisions have been reasonably balanced.

The attendance registers of all the courses along marks, end-semester marks, grades and grade-ranges entered in the register are also to be sent to the Dean (Academic) /equivalent cadre immediately through the Head of the Department.

The Dean (Academic)/equivalent cadre shall go through the statement of grades (and the attendance register). In case of any problem that cannot be set right by the Dean (Academic) /equivalent cadre, the Chairman (Senate) is authorized to take appropriate action in this regard. The finalized list shall then be conveyed to the Chairperson, PAC.

10. AUTHORIZED BREAK OF STUDY :If the student does not report back to the department, even after the extended break of study, the enrolment of the candidate can be cancelled permanently.

11. CLASSIFICATION OF THE DEGREE AWARDED : After successful completion of the programme, degree will be awarded as per the following classifications based on the CGPA.

11.1Students who successfully complete the programme with passing all the subjects in the first appearance and getting CGPA of 8.5 and above will be declared to have passed B.Tech. with first class distinction.

11.2 Students who get a CGPA of 6.5 and above, but below 8 and who complete the course within 9 semesters or authorized break, will be declared to have passed in first class.

11.3 Students who get a CGPA of below 6.5 and who complete the course within the maximum prescribed period after joining the Institute will be declared to have passed in second class.

12. ELIGIBILITY FOR THE DEGREE :A student shall be eligible for the award of the degree of the Bachelor of Technology (B.Tech) only if the student has undergone the prescribed programme of study by earning the minimum total numberof credits specified in the curriculum of the relevant programme of study within a maximum duration of **7** years.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)

IndiaCode

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3814(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

वर्तमान अध्यादेश भा.सू.प्रौ.स. कल्याणी द्वारा प्रस्तुत बी. टेक. डिग्री कार्यक्रम के लिए लागू है, और इस अध्यादेश के निम्नानुसार दो भाग हैं:

अनुच्छेद क: क्रेडिट आधारित निरंतर मूल्यांकन और पुरस्कार (सीसीएलसीएए) से संबंधित अध्यादेश

अनुच्छेद ख: प्रवेश, कार्यक्रम संरचना और परीक्षा (एपीई) से संबंधित अध्यादेश

(नोट - दोनों अनुच्छेदों की शुरुआत में कुछ परिभाषाएं हैं, जिनका उपयोग, जब तक किसी विशेष रूप से नहीं कहा जाता है,तब तक दोनों अनुच्छेदों में समान रूप से किया जाता है।)

अनुच्छेदक क

क्रेडिट आधारित निरंतर मूल्यांकन और पुरस्कार (सीसीएलसीएए) से संबंधित अध्यादेश (भा.सू.प्रौ.स. कल्याणी द्वारा प्रस्तुत बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम के लिए)

1	**परिप्रेक्ष्य**	भा.सू.प्रौ.स. (सा.नि.भा.) अधिनियम 2017 इस प्रकार है 19. (1) इस अधिनियम, संविधियों और अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन, सीनेट इस संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और उसे शैक्षणिक मामलों और गतिविधियों तथा छात्रों के कल्याण हेतु अध्यादेशों को लागू करने, परिशोधित करने या संशोधित करने का

		अधिकार होगा। (2) (ग) नए कार्यक्रमों या पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना; (घ) कार्यक्रमों और पाठ्यक्रम की व्यापक शैक्षणिक विषय वस्तु को निर्दिष्ट करना और उसमें संशोधन करना; (ड.) शैक्षणिक कैलेंडर निर्दिष्ट करना तथा डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक पदवियों या उपाधियों को मंजूरी देना; (च) विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षकों, परिनियामकों, तालिकाकारों और ऐसे अन्य कर्मियों को नियुक्त करना (छ) विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों के डिप्लोमा और डिग्री को मान्यता देना और संस्थान की डिग्री और डिप्लोमा के साथ समतुल्यता निर्धारित करना 33. इस अधिनियम, संविदा और अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक संस्थान निम्नलिखित में से किसी भी या सभी मामलों के लिए प्रावधान कर सकता है; नामतः (क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश, (ख) संस्थान के सभी डिग्री और डिप्लोमा के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम; (ग) छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तथा संस्थान की परीक्षाओं के लिए प्रवेश दिया जाने की शर्तें और डिग्री और डिप्लोमा के लिए पात्रता; (घ) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें; (ड.) परीक्षण निकायों, परीक्षकों और परिनियामकों की नियुक्तियों के प्रकार, शर्तें और कर्तव्य; (च) परीक्षाओं का संचालन; (छ) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन का प्रतिपालन; और (ज) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम या संविदा के अनुसार हो सकता है या अध्यादेशों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इन अध्यादेशों को तदनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संस्थान की सीनेट में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है: 1) संस्थान के बी.टेक. कार्यक्रम में प्रवेशित छात्रों के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करना। 2) छात्रों द्वारा क्रेडिट के सफल समापन के अध्यधीन, बी.टेक के प्रवेशित छात्रों की डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र आदि के निरंतर मूल्यांकन डिग्री देने हेतु एक तंत्र स्थापित करना।
2.	**अध्यादेश का नाम**	इस अध्यादेश को भा.सू.प्रौ.स. कल्याणी द्वाराप्रस्तुत बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आधारित निरंतर मूल्यांकन और पुरस्कार (सीसीएलसीएए) से संबंधित अध्यादेश संबोधित किया जाएगा
3.	**अध्यादेश क्रमांक**	2019/ बी.टेक./सीसीएलसीएए/01
4.	**नया /परिशोधन/संशोधन** **परिशोधन की स्थिति में, अध्यादेश का पुराना क्रमांक**	लागू नहीं
5.	**परिभाषाएं**	इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित अनुसार परिभाषाएँ लागू होगी; 1) **"डिग्री"**: बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम का उल्लेख **"डिग्री"** होगा।

		2) **"पाठ्यक्रम":** ऐसे पाठ्यक्रम (मों) जिसके लिए एक छात्र निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्यांकन के बाद क्रेडिट अर्जित करते है, उसका उल्लेख "पाठ्यक्रम"होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम में व्याख्यान, ट्यूटोरियल और प्रयोगात्मक सत्र शामिल होंगे। एक पाठ्यक्रम में इनमें से एक या तो सभी तीन घटक हो सकते हैं। प्रोजेक्ट को एक पाठ्यक्रम के रूप में भी माना जाता है। 3) **"घटक"**: शैक्षणिक गतिविधियों जैसे व्याख्यान (प्रत्यक्ष व्याख्यान सत्र), ट्यूटोरियल (सहभागी चर्चा / स्व-अध्ययन / डेस्क कार्य / प्रश्नोत्तरी / संगोष्ठी प्रस्तुति, आदि. जिससे, छात्र प्रस्तुत विषयवस्तु को प्रभावी ढंग से समाहित और आत्मसात कर सकेगा, तथा प्रयोगात्मक /अभ्यास सत्र (अनुभव / प्रयोगशाला प्रयोगों / क्षेत्र अध्ययन / केस स्टडीज आदि गतिविधिया शामिल हैं जो छात्र को अपेक्षित कौशल अवगत करने में सक्षम बनाते हैं) उसका उल्लेख "घटक" होगा। 4) "**निरंतर मूल्यांकन":** निर्धारित पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों पर सम्पूर्ण छमाही में छात्र का मूल्यांकन "**निरंतर मूल्यांकन"** से उल्लेखित होगा। 5) तीन घटक अवधियों, नामतः मेकअप / पूरक परीक्षा अवधि सहित सी1, सी2 और सी3 की अवधि का उल्लेख '**छमाही**' होगा एक छमाही में सामान्यतया बीस सप्ताह की अवधि होगी 6) **"कोर्स ड्राप":** अध्यादेश में निर्धारित शर्तों के तहत, पाठ्यक्रम(मों) की क्रेडिट अपेक्षाओं को पूरा न कर पाने के पश्चात पाठ्यक्रम(मों) को दोहराने वाले छात्र का उल्लेख 'कोर्स ड्राप' के रूप में किया जाएगा। 7) **"मेकअप / पूरक परीक्षा":** छमाही- सी 3 घटक में असफल / इच्छित अंक प्राप्त ना करने कारण, छात्र को उसके पिछले स्कोर में सुधार करने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, परीक्षा(ओं) के आयोजन को "मेकअप / पूरक परीक्षा" कहा गया है। 8) **"रिक्त छमाही":** यह एक ऐसी छमाही, है जिसमें छात्र या तो छमाही की शुरुआत में किसी भी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण नहीं करता है या सभी पाठ्यक्रमों के लिए DROP का चयन करता है या वह सभी पाठ्यक्रमों को ड्रॉप करने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसी भी स्थिति हो **"रिक्त छमाही"** से उल्लेखित होगा। 9) **"स्पिल ओवर छमाही":** निर्धारित सामान्य छमाही के पूरा करने के पश्चात अतिरिक्त छमाही(याँ) को **"स्पिल ओवर छमाही"** कहा जाएगा। 10) **"पूरक पाठ्यक्रम":**अतिरिक्त प्रवीणता प्राप्त करने के लिए सामान्य डिग्री के पूरा होने के लिए नियमित रूप से निर्धारित पाठ्यक्रमों के अलावा लिए गये पाठ्यक्रम को **"पूरक पाठ्यक्रम"** कहा जाएगा। इन पाठ्यक्रमों को नियमित छमाही पाठ्यक्रमों के दौरान और साथ में लिया जा सकता है या इसके अलावा छमाही(याँ) पर स्पिल ओवर दौरान यानी अतिरिक्त समय देकर लिया जा सकता है। 11) **"एएए विभाग":** संस्थान के प्रवेश, मूल्यांकन और पुरस्कार विभाग को **"एएए विभाग"** कहा जाएगा। 12) **"समतुल्य पाठ्यक्रम":** एक पाठ्यक्रम, जिसे पहले पाठ्यक्रम के साथ बड़ी मात्रा में समानता के साथ इस पाठ्यक्रम घटक के रूप में प्रस्तुत है, उसे **"समतुल्य पाठ्यक्रम"**

IndiaCode

		कहा जाएगा। 13) **"उपस्थिति"**: एक शैक्षिक गतिविधि सत्र में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति को **"उपस्थिति"** कहा जाएगा। 14) **"ग्रीष्मकालीन छमाही"** का अर्थ एक छमाही है जो कि सम और विषम छमाही (अर्थात ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि) के बीच की अवधि के दौरान आयोजित किया जाना निश्चित है। यह संबंधित विभाग के विवेक पर निर्भर करता है और अनिवार्यता नहीं है। 15) "**ग्रेड प्वाइंट**": एक पाठ्यक्रम विशेष में उसमें यथापरिभाषित छात्र की उपलब्धि के परिमाणन को "**ग्रेड प्वाइंट**" कहा जाएगा। 16) "सम्मान्य निकास विकल्प": जब छात्र निर्धारित चार वर्षीय बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम को छह क्रमिक वर्षों में पूरा करने में असमर्थ है, तब उनके लिए निकास विकल्प उपलब्ध है जिसे "सम्मान्य निकास विकल्प" कहा जाएगा। 17) इस दस्तावेज़ में, वह / उसे / उसका / आदि का अर्थ, किसी भी लिंग विशेष के प्रति पूर्वाग्रह किए बिना, एक छात्र/ संकाय सदस्य से होगा।
6.	**प्रस्तावना**	यह अध्यादेश, एक संस्थान द्वारा अपने नामांकित छात्रों के 'निरंतर मूल्यांकन' की आवश्यकता के प्रति उसकी वचनबद्धता की अभिव्यक्ति है, जिसका प्रयोजन शिक्षा प्रक्रिया में छात्रों की निरंतरता को बनाए रखना है जो उन्हें उस चिंता से आराम दिलाता है जो मध्य और अंतिम छमाही के दौरान अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है क्योंकि अन्यथा मूल्यांकन प्रक्रिया मुख्यतया परीक्षा आधारित ही होती है।
7.	**कार्यान्वयन की तिथि**	यह अध्यादेश संस्थान की सीनेट या निदेशक द्वारा तय की गई तारीख से प्रवृत्त होगा। तदनुसार, इस अध्यादेश केआशय से संबंधित पूर्व / संस्थान में अब तक प्रचलित / अलग-अलग नीतियों / प्रथाओं, विषय / संबंधित मुद्दों पर, ऐसी तारीख से अधिक्रमित होंगे।
8.	**किसके लिए**	यह अध्यादेश भा.सू.प्रौ.स. कल्याणी में कार्यक्रम वर्ष 2019 और उसके पश्चात विभिन्न बी.टेक. कार्यक्रमों में प्रवेशित सभी अवर स्नातक छात्रों के लिए है।
9.	**मूल्यांकन तंत्र**	निरंतर मूल्यांकन में वर्तमान शैक्षणिक छमाही, जिसमें छात्र का नामांकन होता है, उसके दौरान छात्र द्वारा की गई सभी शैक्षणिक गतिविधियों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें समीक्षा परीक्षा (परीक्षाओं), प्रश्नोत्तरी, ट्यूटोरियल, स्वाध्याय, प्रात्यक्षिक, सरप्राइज टेस्ट, प्रकल्प कार्य, टर्म वर्क, संगोष्ठी / चर्चाओं आदि जैसी निरंतर मूल्यांकन सुनिश्चित करने वाली आवश्यक गतिविधियां शामिल हैं।
10.	**जब मूल्यांकन किया गया**	समीक्षा परीक्षा क्रमश: उक्त दो घटक सी1 (सी 1का और सी 1ख) और सी2 अवधियों का औसत अथवा सर्वोत्तम के अंत में छमाही के दौरान आयोजित होंगी सी3 अंतिम छमाही परीक्षा संस्थान के एएए विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी। संबंधित संकाय सदस्य प्रश्नोत्तरी, ट्यूटोरियल, स्वाध्याय, संगोष्ठी, चर्चा, आदि की अनुसूची की घोषणा करेंगे। हालांकि सरप्राइज टेस्ट जैसे कुछ घटक अनियोजित तरीके से भी हो सकते हैं। तथापि, संकाय द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम में लागू किए जाने वाली मूल्यांकन के पद्धति से अवगत कराया जाएगा।
		समीक्षा परीक्षा: प्रति घटक एक ट्यूटोरियल / संगोष्ठी / विचार-विमर्श: जैसा कि पाठ्यक्रम के प्रभारी संकाय द्वारा निश्चित

<table>
<tr><td></td><td></td><td>किया जाए</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>कितनी बार मूल्यांकन किया जाएगा</td><td>अभ्यास / प्रात्यक्षिक: प्रत्येक अभ्यास / प्रात्यक्षिक सत्र के अंत में
प्रश्नोत्तरी: जैसा कि पाठ्यक्रम के प्रभारी संकाय द्वारा निश्चित किया जाए
कार्य: जैसा कि पाठ्यक्रम के प्रभारी संकाय द्वारा निश्चित किया जाए</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>उपस्थिति</td><td>क. छमाही / ग्रीष्मकालीन छमाही में मूल्यांकन के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
ख. किसी भी परिस्थिति में, C3 छमाही अंतिम परीक्षा या मेक उप /पूरक परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है।
ग. संक्षिप्त रिपोर्ट केवल संबंधित संकाय सदस्य द्वारा एएए विभाग को भेजी जाएगी। यदि वह शून्य हो तो एक शून्य रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। किसी भी रिपोर्ट को शून्य रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। टिप्पणी -चिकित्सा, सामाजिक दायित्व, खेल और / या सांस्कृतिक गतिविधियों में सहभागिता / प्रतिनिधित्व, प्लेसमेंट गतिविधियाँ आदि जैसे कारणों के लिए उपस्थिति में 25% की छूट है। सभी गैरहाजिरी को शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए संबंधित एफसी / एचओडी तथा हॉस्टल प्रयोजनों के लिए हॉस्टल वार्डन के लिए सूचित किया जाएगा। एफसी / एचओडी कार्यालय एएए विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे।
घ. सीनेट / सीनेट के अध्यक्ष के पास उपर्युक्त नियमो के बावजूद उपस्थिति में छूट की अनुमति देने का अधिकार होगा।</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मूल्यांकन के प्रकार</td><td>संपूर्ण मूल्यांकन
रचनात्मक मूल्यांकन (छमाही के दौरान) | योगात्मक मूल्यांकन (छमाही के अतं में)
<table><tr><td></td><td>सी1 [सी1क सी1ख]</td><td>सी2</td><td>सी3</td></tr><tr><td>भारिता</td><td>(20%)</td><td>(30%)</td><td>(50%)</td></tr><tr><td>अवधि</td><td>चौथा - पांचवा सप्ताह
बारहवां – तेरहवां सप्ताह</td><td>आठवाँ – नौवां सप्ताह</td><td>सोलहवां – अठारहवाँ सप्ताह</td></tr></table>(छमाही की अवधि को लोचशील रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह छमाही के सोलह सप्ताह अर्थात 80+5 दिवसों के बराबर न्यूनतम कार्य दिवसों में पूरी हो सके और यदि वह शून्य हो तो एक शून्य रिपोर्ट भेजी जानी अपेक्षित है।)</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>मूल्यांकन के प्रत्येक घटक की व्यक्तिगत प्रतिशत भारिता</td><td>घटक 1 (सी1) = 20% (सी1 यह सी1क & सी1ख का औसत या सर्वोत्तम होगा। सी1क & सी1ख को छमाही के चौथा-पाँचवाँ सप्ताह और बारहवां-तेरहवां सप्ताह के अन्दर पूरा किया जाएगा)
घटक 2 (सी2) = 30%(आठवें और नौवें सप्ताह के दौरान पूरा किया जाना है)
सी1 और सी2 में संबंधित पाठ्यक्रम के प्रभारी फैकल्टी के अनुसार, संकाय अवधि के अंत में निर्धारित प्रश्नोत्तरी, ट्यूटोरियल, स्वाध्याय, एमआईडी छमाही, आदि जैसे शैक्षणिक</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>गतिविधियां शामिल होंगी।
घटक 3 (सी3) = 50%(अंतिम छमाही परीक्षा को शामिल करना और छमाही के पंद्रहवां से अठारहवाँ सप्ताह के दौरान होना)</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>प्रोजैक्ट
मूल्यांकन घटक</td><td>प्रोजेक्ट को एक विशेष पाठ्यक्रम के रूप में भी माना जाता है, इसका मूल्यांकन सी1, सी2 और सी3 घटकों के माध्यम से किया जाता है, जहाँ:
सी1 (20%) प्रोजेक्ट में अनुसंधान योगदान पर केंद्रित है। यह समस्या की पहचान और परिभाषा, साहित्य सर्वेक्षण, प्रोजेक्ट के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, आदि पर मूल्यांकन को दर्शाता है।
सी2 (40%) परिणाम, चर्चा, आदि सहित एक ड्राफ्ट रिपोर्ट की तैयारी के साथ निरंतर प्रगति, योजना, विकास और कार्यान्वयन पर मूल्यांकन को दर्शाता है।
सी3 (40%) अंतिम प्रस्तुति, प्रदर्शन / प्रतिवाद / मौखिक परिक्षा के आधार पर दो भागों में मूल्यांकन को संदर्भित करता है। मूल्यांकन के भाग 1 (20%) में प्रोजेक्ट रिपोर्ट / शोध प्रबंध मूल्यांकन और अंतिम प्रस्तुति शामिल है, इसके अलावा, जबकि मूल्यांकन के भाग 2 (20%) में प्रदर्शन और प्रतिवाद / मौखिक परिक्षा शामिल हैं।</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>मूल्यांकन परिणाम की जानकारी कब मिलेगी</td><td>सी3 / अंतिम छमाही: छमाही के अंत में
मध्य छमाही: परीक्षा होने के बाद तीन सप्ताह के भीतर।
ट्यूटोरियल / संगोष्टी / चर्चाएँ / प्रस्तुतियाँ: गतिविधि पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर।
अभ्यास सत्र / प्रात्यक्षिक:प्रात्यक्षिक सत्र के अंत में।
प्रश्नोत्तरी: उक्त प्रश्नोत्तरी के संचालन के एक सप्ताह के भीतर।</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>संपूर्ण मूल्यांकन कैसे और कब</td><td>संपूर्ण मूल्यांकन ग्रेड शीट पर निर्दिष्टानुसार सब्जेक्ट टॉलरेटिव स्केलिंग और ग्रेडों/समतुल्य प्रतिशत के अभिव्यक्त विवरण द्वारा प्रकटित, संस्थान के विभिन्न घटकों का कुल योग / भारित परिणाम, एएए विभाग के एक सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 10 के स्केल में, होगा। ग्रेड शीट को सामान्यत: अंतिम परिणाम की घोषणा के एक महीने के अन्दर जारी किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>क्रेडिट आधारित प्रमाणन योजना</td><td>अध्यादेश वास्तव में प्रवेशित छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट के आधार पर एक उपयुक्त प्रमाणन प्रदान करने का प्रावधान करता है। किसी भी प्रकार का प्रमाणन केवल तभी संभव होगा जब छात्र डिग्री प्रोग्राम की सामान्य अवधि पूरी कर लेगा, (ग्रीष्मकालीन छमाही को गिने बिना चाहे वह छमाही हुई हो/उसका लाभ उठाया गया हो) जो प्रवेश की तिथि से लगातार आठ छमाही है। इसके बाद, पुरस्कार के लिए प्रमाणपत्र निम्नानुसार माने जायेंगे:
<table>
<tr><th>अ.क्र.</th><th>प्रमाणपत्र का नाम</th><th>पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि</th><th>पाठ्यक्रम की अधिकतम∆ अवधि</th><th>क्रेडिट आवश्यकता</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>बी. टेक. डिग्री</td><td>चार वर्ष (8 छमाही)</td><td>6 वर्ष (12 छमाही)</td><td>न्यूनतम 160</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अर्जित क्रेडिट पर प्रमाणन*</td><td>चार वर्ष (8 छमाही)</td><td>6 वर्ष (12 छमाही)</td><td>159 या उससे कम</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		***सिर्फ सम्मान्य निकास विकल्प;** i. कोई प्रत्यक्ष या पार्श्व प्रविष्टि प्रवेश प्रावधान के साथ नहीं। एक बार निकासी के बाद, खुले प्रवेश के माध्यम से बी.टेक में नए प्रवेश के अलावा कोई पुनरारंभ संभव नहीं है। ii. पाठ्यक्रम की सामान्य अवधि के पूर्ण होने के अधीन, छात्र, एएए अनुभाग को इस आशय का एक व्यक्त अनुरोध करके, स्वेच्छा से भी निकास विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। ऐसा अनुरोध, स्वीकार करने के पश्चात, अपरिवर्तनीय होगा। इस तरह के मामले में, छात्र को यह सुनिश्चित करना होगा हालांकि, इस तरह का अनुरोध करने से पहले सभी आठ छमाही के शुल्क का विधिवत भुगतान किया हो। iii. इस तरह के प्रमाणन को, संस्थान के नियमित दीक्षांत समारोह में दिया जाएगा। iv. बी.टेक डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से वर्षों की गणना की जाती है। v. जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में सभी प्रावधानों, जैसे मेक-अप / पूरक परीक्षा, ड्राप पाठ्यक्रमों (पाठ्यक्रमों), रिक्त छमाही, अकेले या संयोजन में व्यतीत किया गया समय शामिल है। इसमें, यथाप्रयोज्य ,ग्रीष्मकालीन छमाही भी शामिल है। ∆का संदर्भ उस समयावधि से है, जिसके पश्चात् बी.टेक डिग्री कार्यक्रम स्वत: ही समाप्त हो जाएगा, जिसके परिणाम-स्वरूप इस अवधि के दौरान अर्जित क्रेडिट के अनुरूप प्रमाणन दिया जाएगा।
19.	**"उत्कृष्टता" के सहित डिग्री का प्रावधान**	बोनाफाइड छात्र, जो उपरोक्त क्रेडिट आधारित प्रमाणन योजना के अनुसार बी.टेक डिग्री के लिए पात्र है, 8.50 या उससे ऊपर के डिग्री ग्रेड प्वाइंट इंडेक्स (डीजीपीआई) प्राप्त करने पर लिए बी.टेक प्राप्त करने के पश्चात् "उत्कृष्टता सहित डिग्री" लिए पात्र होगा। टिप्पणी: "डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री" के लिए 8.491 के डीजीपीआई के लिए 8.50 पूर्णन नहीं होगा, लेकिन 8.495 और इसके बाद 8.50 का पूर्णन होगा।
20.	**मेक अप / पूरक परीक्षाएं**	क) छमाही के 18 वें से 20 वें सप्ताह के दौरान होने के लिए ख) मुख्य रूप से ऐसे छात्र (ओं) के लिए प्रावधान, जो किसी कारण से अनुशासनात्मक आधार पर सी3 या एफ श्रेणी में 30% से कम अंक हासिल करते हैं। वैकल्पिक रूप से, छात्र, पाठ्यक्रम संकाय से (मेडिकल आधार या अन्य वैध कारण के तहत) पूर्व में अनुमति के साथ और एएए विभाग को दी गई सूचना के तहत सी3 में उपस्थित होने से छूट का अनुरोध कर सकते हैं और सीधे मेक अप / पूरक परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि मेक अप/ पूरक परीक्षा को पहले दिए गए अवसर पर सुधार के अवसर के रूप में नहीं देखा जा सकता है। जब भी कोई छात्र स्वयं को मेकअप / पूरक परीक्षा अवसर प्रदान करता है, मेक अप/ पूरक परीक्षा में प्राप्त किये गए अंकों को अंतिम ग्रेड गणना के लिए माना जाएगा। हालांकि, अनुशासनात्मक आधार पर सी3 या ग्रेड एफ श्रेणी में 30% से कम अंक वाले छात्र ने मेक अप /पूरक परीक्षा में प्राप्त किए अंकों को एक श्रेणी कम (श्रेणी पी को छोड़कर) के साथ अंतिम श्रेणी गणना के लिए माना जाएगा।

21.	**पाठ्यक्रम में ड्रॉप - कैसे, कब, मार्ग**	क. किसी विशेष पाठ्यक्रम में, यदि छात्र समग्र मूल्यांकन में श्रेणी 'एफ' में असफल होता है, तब छात्र को उस विशेष पाठ्यक्रम से 'ड्रॉप हुआ' माना जाता है। ख. किसी विशेष पाठ्यक्रम में,यदि उपस्थिति 75% से कम है, या अनुमत छूट से बाहर है, तब छात्र को उस विशेष पाठ्यक्रम से 'ड्रॉप हुआ' माना जाता है। ग. जब भी कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम में रिक्त छमाही / ड्रॉप के लिए चयन करता है, या इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार ड्रॉप होने के लिए मजबूर होता है, और जब छात्र अपना अध्ययन जारी रखता है तब छात्र को प्रचलित योजना के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रचलित पाठ्यक्रम / प्रचलित समतुल्य पाठ्यक्रम (मों) का अध्ययन करना होगा। पहले तथा नए प्रस्तावित पाठ्यक्रम सामग्री के समकक्ष पाठ्यक्रम के लिए समतुल्य पाठ्यक्रम (ओं) की सिफारिश पहले से संबंधित विभाग विभागाध्यक्ष/ एफसी द्वारा संस्थान सीनेट के विचार और अनुमोदन के लिए की जाएगी। घ. अध्ययन की गति के लिए छात्र एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम में स्वेच्छा से "ड्रॉप" चुन सकता है। ङ. छात्र ने जिस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और यदि उसका एसजीपीआई 5.00 से कम है तो उसे अनिवार्य रूप से एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम (मों) से ड्रॉप करना पड़ सकता है। टिप्पणी: पाठ्यक्रम में ड्रॉप को पाठ्यक्रम के सभी घटकों में, उपस्थिति सहित, आदि की पूरी पुनरावृत्ति की आवश्यकता होगी।
22.	"पूरक" - क्रेडिट और प्रमाणपत्र जारी...	1) पूरक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए, छात्र को प्रवेश लेने के लिए आवश्यक 160 क्रेडिट के अलावा, छात्र अतिरिक्त रूप से नीचे दिए गए अनुसार कुछ क्रेडिट पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन करा सकता है। क. बी.टेक. - इसके अतिरिक्त, पूरक क्रेडिट के रूप में न्यूनतम 16 क्रेडिट अर्जित किए जा सकते हैं। ख. सभी 16 पूरक क्रेडिट को प्रारंभिक डिग्री नामांकन विभाग से अर्जित किया जाता है, तो छात्र को ऑनर्स बी.टेक. (विशेषज्ञता xxxxxx) मिलेगा। पहले से, सभी विभाग एक या एक से अधिक विशेषज्ञता और ऐसे प्रत्येक विशेषज्ञता के पाठ्यक्रम को परिभाषित करेंगे। ग. यदि अंतःविषय कार्यक्रम से प्रारंभिक डिग्री नामांकन की किसी भी विशेष संबंधित विभाग से 16 पूरक क्रेडिट अर्जित किए जाते हैं,छात्र को (अमुख्य xxxxx) ऑनर्स बी.टेक डिग्री मिलेगी। सभी विभाग एक या एक से अधिक विशिष्टताओं और प्रत्येक ऐसे लघु पाठ्यक्रमों को पहले से परिभाषित करेंगे। घ. यदि 16 पूरक क्रेडिट को विभागों के वर्गीकरण से अर्जित किया जाता है तो नियमित डिग्री के अलावा "पूरक डिप्लोमा" से सम्मानित किया जाएगा। ङ. यदि 16 से कम पूरक क्रेडिट अर्जित किए जाते हैं तो xxxx क्रेडिट्स के लिए पूरक सर्टिफिकेशन जारी किया जाएगा। 2) प्रति छमाही क्रेडिट की ऊपरी सीमा 24 क्रेडिट से अधिक नहीं होगी, जिसके लिए एक

		बी.टेक. छात्र, किसी भी समय खुद को नामांकित कर सकता है। 3) इंटर्नशिप के अलावा ग्रीष्मकालीन छमाही के लिए पूरक पाठ्यक्रम को पंजीकृत नहीं किया जा सकता। 4) पूरक इंटर्नशिप और स्व-अध्ययन विकल्प मूल्यांकन के सी1, सी2 और सी3 पैटर्न का भी पालन करते हैं।
23.	**पूरक परीक्षा / बैक पेपर परीक्षा प्रावधान**	कोई नहीं। उपरोक्त अ.क्र. 20 में दी गई शर्तों के अनुसार, छात्र को उपलब्धता के अध्यधीन और तत्कालीन प्रचलित पाठ्यक्रमों के अनुसार निम्नलिखित छमाही में विशेष पाठ्यक्रम से ड्राप ले कर फिर से पंजीकरण करना होगा। ऐच्छिक पाठ्यक्रम के संबंध में, छात्र ऐच्छिक को बदलने का विकल्प चुन सकता है, जिसकी अनुमति है।
24.	**स्पिल ओवर छमाही**	छात्र या तो सीखने की निर्धारित गति से आगे बढ़ सकता है या अपनी सीखने की गति को धीमी गति से निर्धारित कर सकता है, नीचे दिए अनुसार स्पिल ओवर छमाही के लाभ का उपयोग करके, विकल्पों का चयन कर सकते हैं: क. स्पिल ओवर छमाही (यों) फिर से पंजीकृत पाठ्यक्रम / पूरक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रावधान करती हैं। ख. 9 वीं से 12 वीं तक की अतिरिक्त छमाही स्पिल ओवर छमाही के रूप में उपलब्ध होंगे। ग.इन छमाहियों में नामांकित होने के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा, मात्रवह क्रेडिट घंटे के अनुपात में होगा। घ. इसके अतिरिक्त, नियमित रूप से डिग्री आवश्यकताओं से अधिक अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करने के लिए, पूरक पाठ्यक्रम लेने के इच्छुक छात्र इन स्पिल ओवर छमाही का उपयोग कर सकते हैं।
25.	**ग्रीष्मकालीन छमाही**	क. आम तौर पर एक सामान्य छमाही की आधी अवधि होती है, फिर भी क्रेडिट घंटे की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, क्योंकि उम्मीदवार केवल आधे सामान्य क्रेडिट के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। ख. यदि किसी विशेष कक्षा में ड्राप छात्रों की संख्या कुल छात्रों के 10% भाग से कम है (सभी वर्गों को एक साथ ले कर गणना), केवल संबंधित विभाग के विवेकाधिकार पर प्रस्तुत किया जाता है। ग. जिसमें 10% से अधिक भाग उस पाठ्यक्रम में ड्रॉप के लिए चयन करते हैं या अध्यादेशों के आधार पर ड्रॉप के लिए मजबूर किया जाता है, उन पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य रूप से किया जाएगा। घ. किसी भी पाठ्यक्रम में नए पंजीकरण के लिए नहीं है। ङ. पिछली छमाही के ड्राप को भी स्पिल ओवर छमाही का उपयोग करके नामांकन प्राप्त कर सकते हैं। च. यदि पूरक पाठ्यक्रम केवल इंटर्नशिप के कारण है, तो पूरक पाठ्यक्रम के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। छ. उपस्थिति संबंधी मानदंड अन्य सामान्य छमाही के लिए यथाप्रयोज्य मानदंडों जैसे ही होंगे। ज. ग्रीष्मकालीन छमाही के दौरान ड्राप पाठ्यक्रम के बराबर अधिकतम केवल 12 क्रेडिट

IndiaCode

		पंजीकृत किए जा सकते हैं। झ. ग्रीष्मकालीन छमाही का लाभ उठाने के लिए निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
26.	**रिक्त छमाही**	जब भी इसका लाभ उठाया जाएगा, तब वह बी.टेक. डिग्री प्राप्त करने के लिए आवश्यक 160 क्रेडिट की ओर किसी भी क्रेडिटों के लिए पंजीकरण नहीं कर सकता। हालांकि, केवल क्रेडिट पर एड ऑन के लिए इंटर्नशिप / स्व-अध्ययन विकल्प (विकल्पों) को चुनने की अनुमति दी जा सकती है।
27.	**श्रेणी, पदक, आदि.**	केवल ऐसे छात्र, जो 8.35 से ऊपर सीजीपीए के साथ पहली 8 क्रमिक छमाहियों में 160 क्रेडिट पूरा करते हैं और जिनके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई दर्ज नहीं की गई है, श्रेणी / पदक / श्रेष्ठता / सम्मान आदि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और सरकार द्वारा वित्त पोषित / संस्थान प्रायोजित छात्र फेलोशिप / छात्रवृत्ति, फ्रीशिप आदि के लिए पात्र होंगे ।
28.	कठिनाइयों को दूर करने के अधिकार	ऐसे विषय जिनका उपरोक्त या अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए यहां समाविष्ट नहीं किया गया है,लेकिन उपरोक्त अध्यादेश के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हो रहा है, सीनेट अध्यक्ष को कठिनाइयों को दूर करने और इन विषयों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाएगा। सीनेट की अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद ख

भा.सू.प्रौ.स. कल्याणी द्वारा प्रस्तुत बी.टेक. उपाधि कार्यक्रम के लिए प्रवेश, कार्यक्रम संरचना और परीक्षा (ऐप) के लिए अध्यादेश

1.	**परिप्रेक्ष्य**	भा.सू.प्रौ.स. (स.नि.भा.) अधिनियम 2017 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है: 19. (1) इस अधिनियम, संविधियों और अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन, सीनेट संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और उसे शैक्षणिक मामलों और गतिविधियों तथा छात्रों के कल्याण हेतु अध्यादेशों को लागू करने, आशोधित करने या संशोधित करने का अधिकार होगा। (2) (ग) नए कार्यक्रमों या पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना; (घ) कार्यक्रमों और पाठ्यक्रम की व्यापक शैक्षणिक विषय वस्तु को निर्दिष्ट करना और उसमें संशोधन करना; (ड.) शैक्षणिक कैलेंडर निर्दिष्टकरना तथा डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं या उपाधियों को मंजूरी देंना; (च) विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षकों, परिनियामकों, तालिकाकारों और ऐसे अन्य कर्मियों को नियुक्त करना (छ) विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों की डिप्लोमा और डिग्री को मान्यता देना और संस्थान की डिग्री और डिप्लोमा के साथ समतुल्यता निर्धारित करना 33. इस अधिनियम के प्रावधानों और संविधियों के अधीन, प्रत्येक संस्थान अध्यादेश निम्नलिखित में से किसी भी या सभी मामलों के लिए प्रावधान कर सकता है; नामतः (क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश, (ख) संस्थान के सभी डिग्री और डिप्लोमा के लिए निर्धारित किए जाने वाले पाठ्यक्रम; (ग) छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तथा संस्थान की परीक्षाओं के लिए प्रवेश दिया जाने की शर्तें और डिग्री और डिप्लोमा के लिए पात्रता; (घ) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदक और पुरस्कार के

IndiaCode

		प्रदान करने की शर्तें; (ड) परीक्षण निकायों, परीक्षकों और परिनियामकों की नियुक्तियों के प्रकार, शर्तें और कर्तव्य; (च) परीक्षाओं का संचालन; (छ) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन का प्रतिपालन; और (ज) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम या संविदा के अनुसार हो सकता है या अध्यादेशों द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इन अध्यादेशों को तदनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ संस्थान की सीनेट में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्मित किया गया है: 1) संस्थान के बी.टेक. कार्यक्रम में प्रवेशित छात्रों के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करना। 2) बी.टेक. कार्यक्रम में प्रवेशित छात्रों के निरंतर मूल्यांकन के आधार पर, छात्र द्वारा क्रेडिट के निर्दिष्टानुसार, सफल समापन डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र, आदि से पुरस्कृत करना
2.	**अध्यादेश का नाम**	इस अध्यादेश को भा.सू.प्रौ.स. कल्याणी द्वारा प्रस्तुत बी.टेक. उपाधि कार्यक्रम के लिए प्रवेश, कार्यक्रम संरचना और परीक्षा (APE)के लिए अध्यादेश (इसके बाद मूल्यांकन कहा जाएगा) से संबंधित अध्यादेश कहा जाएगा
3.	**अध्यादेश क्रमांक**	2019/ बी.टेक./एपीई/01
4.	**नया/ परिशोधन/संशोधन** **परिशोधन की स्थिति में, अध्यादेश का पुराना क्रमांक**	लागू नहीं
5.	**परिभाषाएं**	इस अध्यादेश के लिए, निम्नलिखित अनुसार परिभाषाएँ लागू होगी; 1) **"डिग्री":** बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम का उल्लेख **"डिग्री"**होगा। 2) **"पाठ्यक्रम":**ऐसे पाठ्यक्रम(ओं) जिसके लिए एक छात्र निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्यांकन के बाद क्रेडिट अर्जित करते है, उसका उल्लेख "पाठ्यक्रम"होगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम में व्याख्यान, ट्यूटोरियल और प्रात्यक्षिक सत्र शामिल होंगे। एक पाठ्यक्रम में इनमें से एक या तो सभी तीन घटक हो सकते हैं।प्रोजेक्ट को एक कोर्स के रूप में भी माना जाता है। 3) **"शैक्षणिक गतिविधियाँ"**: शैक्षणिक गतिविधियों जैसे व्याख्यान (प्रत्यक्ष व्याख्यान सत्र), ट्यूटोरियल (सहभागी चर्चा / स्व-अध्ययन / डेस्क कार्य / प्रश्नोत्तरी / संगोष्ठी प्रस्तुति, आदि.जिससे, प्रस्तुत विषयवस्तू को छात्र प्रभावी ढंग से अवशोषित और आत्मसात करने में सहायता करेगा, तथाप्रात्यक्षिक /अभ्यास सत्र (अनुभव / प्रयोगशाला प्रयोगों / क्षेत्र अध्ययन / केस स्टडीज आदि गतिविधियों शामिल हैं जो छात्र को अपेक्षित कौशल से अवगत कराने में सक्षम बनाते हैं) उसका उल्लेख "**शैक्षणिक गतिविधि**" होगा। 4) "**निरंतर मूल्यांकन"**: छात्र का निर्धारित पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों पर सम्पूर्ण छमाही में मूल्यांकन को "**निरंतर मूल्यांकन"** से उल्लेखित होगा। 5) **"छमाही"** तीन घटक अवधियों, नामतः मेकअप / पूरक परीक्षा अवधि सहित सी1, सी2 और सी3, का समावेश करने वाली अवधि को संदर्भित करेगा। एक ग्रीष्म कालीन छमाही को छोड़कर

IndiaCode

		एक छमाही सामान्यत: बीस सप्ताह की होगी। ग्रीष्मकालीन छमाही संबद्ध अनुच्छेद (अनुच्छेदों) में सन्निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगी। 6) **"स्पिल ओवर छमाही"**: निर्धारित सामान्य छमाही के पूरा करने के पश्चात अतिरिक्त छमाही (छमाहियों) को **"स्पिल ओवर छमाही"** कहा जाएगा। 7) **"पूरक पाठ्यक्रम"**:अतिरिक्त प्रवीणता प्राप्त करने के लिए सामान्य डिग्री के पूरा होने के लिए नियमित रूप से निर्धारित पाठ्यक्रमों के अलावा लिए गये पाठ्यक्रम को **"पूरक पाठ्यक्रम"** कहा जाएगा।इन पाठ्यक्रमों को नियमित छमाही पाठ्यक्रमों के दौरान और साथ में किया जा सकता है या इसके अलावा छमाही (यों) पर स्पिल ओवर के दौरान यानी अतिरिक्त समय देकर लिया जा सकता है। 8)**"एएए विभाग"**: संस्थान के प्रवेश, मूल्यांकन और अवार्ड विभाग को **"एएए विभाग"** कहा जाएगा। 9) **"जीपीआई"**: पाठ्यक्रम श्रेणी बिंदु सूचकांक (कोर्स ग्रेड पॉइंट इंडेक्स) को संदर्भित करता है और बाद में अध्यादेश में निर्दिष्टानुसार गणना की जाती है। 10) **"एसजीपीआई"**: छमाही पाठ्यक्रम श्रेणी बिंदु सूचकांक (सेमीस्टर कोर्स ग्रेड पॉइंट इंडेक्स) को संदर्भित करता है और बाद में अध्यादेश में निर्दिष्टानुसार गणना की जाती है। 11) **"सीजीपीआई"**: संचित पाठ्यक्रम श्रेणी बिंदु सूचकांक (क्युमिलेटिवकोर्स ग्रेड पॉइंट इंडेक्स) को संदर्भित करता है और बाद में अध्यादेश में निर्दिष्टानुसार गणना की जाती है। 12) **"डीजीपीआई"**: डिग्री पाठ्यक्रम श्रेणी बिंदु सूचकांक (डिग्री कोर्स ग्रेड पॉइंट इंडेक्स) को संदर्भित करता है और बाद में अध्यादेश में निर्दिष्टानुसार गणना की जाती है। 13) **"प्राप्तांक से समकक्ष प्रतिशत":प्राप्तांक से समकक्ष प्रतिशत** को संदर्भित करता है और बाद में अध्यादेश में निर्दिष्टानुसार गणना की जाती है। 14) **"वर्ग (डिविजन)"**: अध्यादेश में बाद में विस्तृत तंत्र के अनुसार छात्र को वर्ग (डिविजन) से सम्मानित किया गया, को संदर्भित करता है। 15) **"सीसीएलसीएए अध्यादेश"**: भा.सू.प्रौ.स. कल्याणी द्वारा प्रस्तुत बी.टेक. उपाधि कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आधारित निरंतर मूल्यांकन और पुरस्कार (सीसीएलसीएए) से संबंधित अध्यादेश को संदर्भित करता है और इस दस्तावेज के अनुच्छेद क में प्रस्तुत है। 16) **"एचओडी"**: संबंधित विभाग, जहां छात्र को उसकी अध्ययन शाखा के लिए प्रवेशित किया जाता है, उसके प्रमुख को संदर्भित करता है। 17) **"एफसी"**: फैकल्टी समन्वयक को संदर्भित करता है। 18) **"इंटर्नशिप"**: भारत या विदेश में प्रतिष्ठित कंपनियों / संस्थानों द्वारा प्रस्तुत ऑन साईट प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण को संदर्भित करता है। केवल एएए विभाग के माध्यम से संबंधित एचओडी / एफसी के पूर्व अनुमोदन पर किए जाने के लिए।
6.	**कार्यान्वयन की तिथि**	जैसा कि संस्थान की सीनेट या निदेशक द्वारा तय किया जाएगा यह अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होगा। तदनुसार, इस अध्यादेश के आशय से संबंधित पूर्व / संस्थान में अब तक प्रचलित / अलग-अलग नीतियों / प्रथाओं, विषय / संबंधित मुद्दों पर, ऐसी तारीख से अधिक्रमित होंगे।
7.	**किसके लिए**	भा.सू.प्रौ.स. कल्याणी में कार्यक्रम वर्ष 2019 और उसके पश्चात विभिन्न बी.टेक. कार्यक्रमों में प्रवेशित सभी स्नातक छात्रों के लिए यह अध्यादेश है।
8.	**बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम की**	क. सामान्यत:, बी.टेक. चार शैक्षणिक वर्षों की अवधि में फैला आठ छमाहीयों का डिग्री कार्यक्रम है। दो सेमेस्टर जुलाई / अगस्त (विषम सेमीस्टर / ऑटम सेमीस्टर) और जनवरी (सम सेमीस्टर / स्प्रिंग सेमीस्टर) में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष जुलाई / अगस्त से शुरू होगा।

सामान्य संरचना

ख. सामान्यत:, बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम एक पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम है, लेकिन छात्रों को उनके संबंधित अभिभावकों द्वारा स्पष्ट अनुरोध पर परिसर से बाहर रहने की अनुमति दी जा सकती है।ऐसे विषयो में शुल्क इत्यादि संबंधित नियमों द्वारा शासित होगी।

ग. पहली क्रमिक आठ छमाही के साथ ग्रीष्मकालीन छमाही शामिल हैं, जिन्हें सामान्य सेमेस्टर के रूप में जाना जाता है, और उसके पश्चयात के छमाही को स्पील ओवर छमाही (ड्रॉप्ड पाठ्यक्रमों के लिए ग्रीष्मकालीन छमाही) कहा जाता है।

घ. अध्यापन और मूल्यांकन का माध्यम अंग्रेजी है।

ङ. संस्थान नियमित अभ्यास उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण प्रकार के अंतिमछमाही आधारित परीक्षा पैटर्न के बदले मेंनिरंतर मूल्यांकन पैटर्न का अनुसरण करता है।निरंतर मूल्यांकन पैटर्न प्रत्येक छात्र के लिए उसकी गति और क्षमता पर सफलता की स्थिति को बढ़ावा देता है। इसका विवरण संस्थान के सीसीएलसीएए अध्यादेश में अनुच्छेदक के रूप में निर्दिष्ट हैं।

च. सीसीएलसीएए अध्यादेश में दी गई योजना के अनुसार, बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम अधिकतम छह शैक्षणिक वर्षों में पूरा किया जाना है, अध्यादेश में दी गई योजना के अनुसार, छात्र को बाहर निकलना होगा।

छ. बी.टेक. डिग्री से सम्मानित होने के लिए, एक विशेष छमाही के दौरान प्रस्तुत किए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों में अपना नामांकन करके, छात्र को कम से कम 160 क्रेडिट अर्जित करने होंगे।

ज. एक छात्र अधिकतम 24 क्रेडिट प्रति छमाही के लिए ड्रॉप्ड पाठ्यक्रम सहित अपना नामांकन कर सकता है।निदेशक की स्वीकृति के अधीन अधिकतम क्रेडिट सीमा बढ़ाई जा सकती है।

झ. प्रत्येक छात्र विभाग द्वारा निर्धारित संबंधित छमाही में मुख्य पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत करेगा। जबकि, वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए, आवश्यक पूर्व-निर्धारित निकष और पाठ्यक्रमों की प्रस्तुति को पूरा करने के अधीन, छात्र पूर्व पंजीकरण के साथ किसी भी छमाहीका चयन कर सकते हैं। वैकल्पिक पाठ्यक्रम केवल एक निश्चित अधिकतम अनुमेय अधिकारों के लिए उपलब्ध हैं। संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर अधिकतम नामांकन अधिकार तय किये जायेंगे।

ञ. छमाही और क्रेडिट व्याप्ति:

छमाही	सामान्य क्रमिक छमाहियाँ								शेष* छमाहियाँ
	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	पांचवी	छठी	सातवी	आठवी	9वीं से 12वीं
अवधि	जुलाई/ अगस्त-दिसंबर	जनवरी-मई /जून	जुलाई-नवंबर / दिसंबर	जनवरी-मई /जून	जुलाई-नवंबर / दिसंबर	जनवरी-मई /जून	जुलाई-नवंबर / दिसंबर	जनवरी-मई /जून	
नियमित क्रेडिट	जैसा कि संबंधित विभाग द्वारा निश्चित किया जाए								--

IndiaCode

अधिकतम क्रेडिट जिसे (ड्राप्ड पाठ्यक्रम सहित) में प्रवेशित किया जा सकता है	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

- छात्र रिक्त छमाही का विकल्प भी चुन सकता है, परन्तु रिक्त छमाही सहित हर सामान्य छमाही के दौरान नियमित शुल्क का भुगतान करना होगा।
- स्पिल ओवर छमाही का उपयोग इंटर्नशिप / पूरक पाठ्यक्रमों के लिए भी किया जा सकता है।
- **केवल ड्रॉप्ड पाठ्यक्रमों के लिए

ट. यदि कोई छात्र अन्य छमाही (ओं) में अधिकतम 24 क्रेडिट तक पंजीकरण के लाभ का उपयोग करते हुए 7 वें छमाही के निर्धारित क्रेडिट के पूरा होने का प्रबंधन कर सकता है, तो, वह रिक्त 7 वें छमाही के लिए औपचारिक रूप से चयन करने के योग्य हो सकता है। यह छात्र को 7 वें सेमेस्टर के दौरान किसी भी प्रतिष्ठित संगठन / संस्थान में इंटर्नशिप लेने में सक्षम करेगा और केवल क्रेडिट पर पूरक के रूप में 4 क्रेडिट तक प्राप्त कर सकता है। इस तरह के एक छात्र को भी इस तरह के इंटर्नशिप कार्यकाल के दौरान पूरक क्रेडिटके रूप में 4 और क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि और केवल यदि, विभाग उसेइस प्रकार 7 वें छमाही में 8 पर पूरक क्रेडिट जमा करते हुए, स्व-अध्ययन ऐच्छिक के लिए नामांकन करने की अनुमति देता है। स्व-अध्ययन वैकल्पिक केवल इस तरह के इंटर्नशिप के साथ स्वीकार्य होगा।

ठ. "डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री", " ऑनर्स के साथ डिग्री", "पूरक डिप्लोमा" आदि के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं, जो अलग से सीसीएलसीएए अध्यादेश में विस्तृत किये हैं।

ड. छात्र को 16 वीं सप्ताह के अंत तक प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% उपस्थिति होनी चाहिए;अन्यथा उसे पाठ्यक्रम के दौरान ड्रॉप माना जाता है। सामान्यत: उपस्थिति गणना 15 वें सप्ताह तक की जाएगी ताकि शेष अवधि के लिए सभी छात्रों को उपस्थिति का लाभ मिल सके।(यदि किसी भी संयोग से, असाधारण स्थितियों में, संबंधित विभाग / फैकल्टी किसी भी पाठ्यक्रम में छात्र की उपस्थिति प्रतिशत की गणना करने में असमर्थ है, और छात्र का मूल्यांकन जारी है, तो भी, अगर किसी भी स्तर पर उपस्थिति निकषो का उल्लंघन पाया जाता है तो मूल्यांकन पाठ्यक्रम को छोड़ने (ड्राप करने) से नहीं रोकता है)।सीनेट / अध्यक्ष सीनेट द्वारा उचित विचार के आधार पर विशेष अनुमति दी जा सकती है।

ढ. शुल्क, जैसा कि संस्थान द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया है, मेक-अप / पूरक परीक्षा, सामान्य छमाही, स्पिल ओवर छमाही (ओं), रिक्त छमाही, ग्रीष्मकालीन छमाही(ओं), प्रतिलेख, आदि सहित सभी छमाहीओं के लिए देय होगा।

9.	**पाठ्यक्रम, वर्गीकरण, सामग्री, विषयवस्तु की सामान्य संरचना**	क. बी.टेक डिग्री कार्यक्रम में एक पाठ्यक्रम की सामग्री वितरण निम्नलिखित में से या तो या सभी के माध्यम से होगा पद्धति: I. व्याख्यान - कक्षा संपर्क सत्र के माध्यम से व्याख्यान सत्र को संदर्भित करता है। "L" द्वारा चिह्नित। II. ट्यूटोरियल - छात्रों द्वारा भागीदारी चर्चा / स्व अध्ययन / डेस्क कार्य / संक्षिप्त प्रस्तुतियों ऐसी अन्य नूतन विधियों के साथ से मिलकर सत्र (ओं) को संदर्भित करता है वह छात्र को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से अवशोषित करने और व्याख्यान सत्र में वितरित सामग्री को आत्मसात करने में सक्षम बनाता है।"T" द्वारा चिह्नित। III. अभ्यास - अभ्यास / प्रात्यक्षिक सत्र को संदर्भित करता है और इसमें अनुभव / प्रयोगशाला प्रयोग / क्षेत्र अध्ययन / केस स्टडी / लघु / प्रमुख प्रकल्प पर अनुभव यह छात्रों को बहुत आवश्यक कौशल घटक प्राप्त करने के लिए सुसज्जित करता है।"P" द्वारा चिह्नित। ख. क्रेडिट के संदर्भ में "L" के प्रत्येक एक घंटे के सत्र में प्रति छमाही 1 क्रेडिट होता है और प्रति छमाही न्यूनतम दो घंटे की अवधि “T” सत्र 1 क्रेडिट होता है और प्रति छमाही न्यूनतम एक घंटे तीस मिनट के सत्र “P” से एक क्रेडिट होता है। ग. एक छमाहि में सामान्यत: अध्ययन-अध्यापन और मूल्यांकन प्रक्रिया के पूरा होने के लिए 20 सप्ताह की अवधि से दिया है, जिसमें से एक लेना चाहे तो, मेक अप / पूरक परीक्षा का अवसर भी शामिल है। घ. प्रत्येक छमाही में पूर्वनिर्धारित संख्या में पाठ्यक्रम और प्रत्येक पाठ्यक्रम पूर्वनिर्धारित क्रेडिट होगा। ङ. प्रत्येक पाठ्यक्रम में L-T–P के संदर्भ में एक पूर्वनिर्धारित संरचना होगी, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग पूर्णांक क्रेडिट दिए जाएंगे। च. पाठ्यक्रम का वर्गीकरण - कोई भी पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किसी एक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है: मुख्य पाठ्यक्रम / वैकल्पिक पाठ्यक्रम / विशेष पाठ्यक्रम। छ. मुख्य पाठ्यक्रम वह है, जिसे छात्र द्वारा अध्ययन किया जाना अनिवार्य है। मुख्य पाठ्यक्रम को सॉफ्ट कोर कहा जा सकता है, अगर मुख्य शाखा के पाठ्यक्रम सूचि से / अध्ययन विषय या सह संबंधित / संबंधित शाखा/ विषय जो मुख्य शाखा / विषय का समर्थन करता है इनमे से पाठ्यक्रम चुनने के लिए छात्र के लिए एक विकल्प है। सॉफ्ट कोर संज्ञा के विपरीत,अनिवार्य मुख्य पाठ्यक्रम को हार्ड कोर कोर्स कहा जाता है। i. ड्रॉप पाठ्यक्रम के संबंध में, उन्हें बदलने के उद्देश्य से, "सॉफ्ट कोर" के तहत सूचीबद्ध पाठ्यक्रम, "वैकल्पिक पाठ्यक्रम" के रूप में भी देखे जा सकते हैं। ii. हार्ड कोर कोर्स के ड्रॉप के विषय में,वही हार्ड कोर कोर्स दोहराया जाना है, नहीं तो, समतुल्य हार्ड कोर कोर्स को लेना और उत्तीर्ण करना है। iii. प्रकल्प के विषय में,पाठ्यक्रम "प्रोजेक्ट" को "हार्ड कोर" कहा जाता है। हालांकि ड्रॉप प्रकल्प के विषय में, प्रकल्पशीर्षक को "सॉफ्ट कोर" कहा जाता है, और इसलिए विषय बदला जा सकता है और एक नए विषय पर प्रकल्प किया जा सकता है। ज. वैकल्पिक पाठ्यक्रम साधारणत: वह होता है जिसे पाठ्यक्रमों सूची से चयनित किया जा

		सकता है और जो अध्ययन के विषय / विषय के लिए बहुत विशिष्ट या विशेष या उन्नत या सहायक हो सकता है जो किसी अन्य शाखा / विषय / ज्ञानक्षेत्र के लिए विस्तारित व्याप्ति / खुलासा प्रदान करता है या छात्र की प्रवीणता/ कौशल प्राप्त करता है। असंबंधित शाखा / विषय से चुना गया एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम और वैसे सामान्य हो सकता है, जिसमें खुलासे की खोज होती है जिसे एक खुला विकल्प कहा जाता है। विशेष / उन्नत ज्ञान प्राप्त करने की प्रस्तुत की गये एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए पूरक अध्ययन / सहायता अध्ययन और एक फैकल्टी द्वारा एक सलाहकार के समर्थन के साथ अपने आधार पर एक छात्र अध्ययन करता है, उसे एक स्व-अध्ययन विकल्प कहा जाता है। झ. पाठ्यक्रम को कार्यक्रम में मुख्य पाठ्यक्रम (कोर कोर्स) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसे दूसरे कार्यक्रम में ऐच्छिक के रूप में या इसके विपरीत माना जा सकता है। ञ. परियोजना (प्रकल्प) कार्य / शोध कार्य को विशेष पाठ्यक्रम के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि यह हार्ड कोर और ऐच्छिक पाठ्यक्रम का संयोजन है ("प्रोजेक्ट" अपने आप में एक 'हार्ड कोर' है जबकि विषय 'ऐच्छिक या वैकल्पिक' है। ट. यदि कोई छात्र अतिरिक्त क्रेडिट के लिए पंजीकरण करके 160 से अधिक क्रेडिट सफलतापूर्वक पूरा करता है, तो फिर ऐच्छिक जिसमें छात्र ने बेहतर श्रेणीप्राप्त कि है, उसे अंत में डीजीपीआई (DGPI)की गणना के लिए माना जाएगा। अतिरिक्त ऐच्छिक में अर्जित क्रेडिट को पूरक प्रमाणन उद्देश्यों के लिए माना जाएगा। ठ. किसी छात्र को जिस विभाग में प्रवेश लेना होता है, उसकी न्यूनतम संख्या संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।बाकी ऐच्छिक को एक ही विभाग या अन्य विभागों / इकाइयों द्वारा की प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें खुले विकल्प भी शामिल हैं। ड. विभाग कुछ ऐच्छिक जैसे कि इंटर्नशिप (s), स्व अध्ययन ऐच्छिक, आदि को केवल पूरकपाठ्यक्रम के रूप में लेने के लिए प्रतिबंधित कर सकते हैं। ढ. स्व अध्ययन ऐच्छिक को भी इंटर्नशिप के दौरान लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, यदि संबंधित विभाग प्रमुख / एफसी द्वारा अनुमोदित, एएए विभाग के तहत स्व अध्ययन (ओं) से अर्जित क्रेडिट्स पूरक क्रेडिट्स के रूप में ही माना जाएगा। यह आमतौर पर केवल इंटर्नशिप की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने की अनुमति होगी। ऐसे ऐच्छिक L-T-P क्रेडिट अनुपात का पालन 0:1:3 में करेंगे। ण. भारत के या विदेशों में, संबंधित विभाग प्रमुख/ एफसी के पूर्व स्पष्ट अनुमोदन के साथ विभाग के फैकल्टी सदस्य के पूर्व व्यक्त की गई सहमति के साथ, जिसमें छात्र को नामांकित किया गया है, में इंटर्नशिप स्वीकार्य होगी।इंटर्नशिप L:T:P क्रेडिट का अनुपात 0: 1: 3 होगा। त. प्रकल्प भारत में या विदेशों में, संस्थानों / उद्योगों के लिए स्वीकार्य हो सकते हैं, परन्तु संबंधित विभाग प्रमुख/ एफसी की पूर्व अनुमति और AAA विभाग के लिए इस तरह की सूचना देनी हो तो। इस तरह की परियोजना (प्रकल्प) का विभाग के फैकल्टी सदस्य द्वारा भी उल्लेख किया जाना चाहिए। उसी फैकल्टी सदस्य को उस विशेष छात्र के लिए मुख्य मार्गदर्शक बनना स्वीकार करना होगा और बौद्धिक संपदा अधिकार, यदि कोई हो, उसे कार्य से बाहर निकलना, भा.सू.प्रौ.स.कल्याणी, मार्गदर्शक, छात्र और संबंधित संस्थान / उद्योग की संयुक्त संपत्ति समान आधार पर होगी।

<table>
<tr><td></td><td></td><td>थ. भारतीय या विदेशी भाषाओं में खुला ऐच्छिक, केवल उन्हीं छात्रों को उपलब्ध होगा, जिनकी मातृभाषा वहभाषा नहीं है। साथ ही वह भाषा, जिसके लिए छात्र दसवीं या बारहवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में उपस्थित हुआ है, उसे खुले ऐच्छिक के रूप में उपलब्ध नहीं होगा। भाषा आधारित खुला ऐच्छिक, L : T : P क्रेडिट का अनुपात 1 : 1: 0 अनुसरण करेगा।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>इंटर्नशिप लेआउट (संरचना)</td><td>क. नीचे दिए गए संबंधित क्रेडिट के अनुरूप निम्नलिखित में से किसी भी अवधि के लिए हो सकता है:
<table>
<tr><th>अ.क्र. सं.</th><th>इंटर्नशिप अवधि</th><th>L-T-P मॉड्यूल के तहत दिए गए क्रेडिट्स</th><th>दिए गए कुल क्रेडिट</th></tr>
<tr><td>1</td><td>25 से 30 दिन</td><td>0:0:1</td><td>1 क्रेडिट</td></tr>
<tr><td>2</td><td>31 से 60 दिन</td><td>0:1:1</td><td>2 क्रेडिट</td></tr>
<tr><td>3</td><td>61 से 100 दिन</td><td>0:1:2</td><td>3 क्रेडिट</td></tr>
<tr><td>4</td><td>101 दिन और अधिक</td><td>0:1:3</td><td>4 क्रेडिट</td></tr>
</table>
ख. इंटर्नशिप को केवल विभागप्रमुख / एफसी से संबंधित पूर्व अनुमति के आधार पर किया जा सकता है और उसी के लिए आवेदन को सॉफ़्टवेयर (यदि कोई हो) में इसकी सूचना और प्रविष्टि के लिए एएए विभाग को प्रेषित किया जाना चाहिए। इंटर्नशिप की निर्धारित तिथि के शुरू होने से कम से कम 3 सप्ताह पहले इस आशय का आवेदन करना होगा।

ग. परंतु कि विभागप्रमुख / एफसीलक्षित उद्योग / संगठन / संस्था के बारे में आश्वस्त नहीं है, विभागप्रमुख / एफसी आवेदन को नामंजुर करके भी अनुमति को अस्वीकार कर सकता है।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>प्रवेश</td><td>1) संस्थान के चार वर्षीय पूर्णकालिक बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संप्रेषित नीतियों के अनुसार होगा। वर्तमान में प्रवेश सीबीएसई, नई दिल्ली द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) के माध्यम से होता है।

2) सरकार के अनुसार आरक्षण नीतियों के लिए भारत के केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी संस्थानों के मानदंड लागू होंगे।

3) बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम में किसी भी पार्श्व प्रवेश का कोई प्रावधान नहीं होगा।

4) बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम की शाखाएँ समय-समय पर सीनेट द्वारा निश्चित की जाएगी। वर्तमान में, हालांकि, बी.टेक. डिग्री में निम्नलिखित शाखा i) कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में प्रदान की जाती है।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>शाखा परिवर्तन विकल्प</td><td>1) ऐसे छात्रों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है जिन्हें संस्थान के चार वर्षीय बी.टेक डिग्री कार्यक्रम में प्रवेशित कराया गया है, लेकिन उसके लिये एक समान प्रारंभिक प्रवेश मानक के साथ किसी अलग विभाग द्वारा की प्रस्तुत चार साल की अवधि के बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम में बदलने की इच्छा हो।

2) एक बैच के लिए केवल एक बार और वह भी केवल पहले सेमेस्टर के अंत में उपलब्ध है।</td></tr>
</table>

		3) संस्थान के एएए विभाग द्वारा बी.टेक. डिग्री कार्यक्रम के प्रथम छमाही के परिणाम के घोषित किया जाता है उस के बाद इस आशय की अभियाचना की जाएगी और वांछित छात्र को उसी के लिए आवेदन करना होगा, जिसे शाखा बदल विकल्प के लिए माना जाना चाहिए। 4) एक शाखा बदल विकल्प के लिए आवेदन करना शाखा बदल की अनुमति देने की गारंटी नहीं देता है। 5) एक बार छात्र को एएए विभाग में उस आशय की स्वीकृति देने के बाद विकल्प का लाभ उठाया यह माना जाएगा। इस प्रकार से लिया गया विकल्प अपरिवर्तनीय है। 6) छात्र केवल निम्नलिखित स्थितियों के सफल अनुपालन पर एक शाखा बदल विकल्प के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा: क. छात्र को बी.टेक डिग्री कार्यक्रम जिसमें शुरू में उसका नामांकन था उसके पहले छमाही के सभी पाठ्यक्रमों में उपस्थित होना चाहिए और सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना चाहिए। ख. छात्र को पहले छमाही के किसी भी पाठ्यक्रम को नहीं छोड़ना चाहिए। ग. संबंधित प्रथम छमाही के सभी निर्धारित क्रेडिट के आधार पर, छात्र ने 7.50 से अधिक या उसके बराबर एसजीपीआई स्कोर किया हो। घ. संस्थान में पहले छमाही में छात्र का आचरण दोष मुक्त होना चाहिए। 7) पहले छमाही के दौरान दुर्व्यवहार / अनुशासनहीनता के किसी भी मामले में एक छात्र शामिल पाया जाता है,तो जैसा कि ऊपर कहा गया है वैसे अपनी शैक्षणिक योग्यता को अन्य योग्यता के बावजूद, वह शाखा बदल के लिए विकल्प से वंचित हो सकता हैं। 8) शाखा बदल विकल्प की उपलब्धता लक्षित शाखा में सीटों की उपलब्धता के अधीन है। किसी भी कार्यक्रम में उपलब्ध कुल सीटों की अधिकतम संख्या उस कार्यक्रम में स्वीकृत सीटों के बराबर होती है। 9) छात्र के आचरण को ध्यान में रखते हुए और छात्र की श्रेणी से स्वतंत्र होगा, शैक्षिक योग्यता के विचार पर शाखा बदल विकल्प स्वीकार्य होगा। इसलिए कोई आरक्षण नियम इस विकल्प के तहत लागू नहीं होंगे। 10) पहले छमाही के परिणाम के "बराबरी" के स्थिति में,योग्यता प्रवेश परीक्षा (वर्तमान में जेईई मेन्स परीक्षा) में संबंधित छात्रों के समग्र अखिल भारतीय रैंक के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, जिसके आधार पर ही प्रारंभिक प्रवेश को बी.टेक डिग्री कार्यक्रम में दिया गया था। दूसरे से अधिक रैंक वाले छात्र को पहले विकल्प दिया जाएगा। (उदा – एआईआर/2182 और 2282 के बीच, रैंक 2182 को उच्च रैंक माना जाता है)।
13	**मुल्यांकन विधि**	प्रत्येक मूल्यांकन घटक केवल परीक्षण प्रमुख नहीं है, लेकिन समस्या-समाधान / प्रात्यक्षिक-अभ्यास / लघु प्रकल्प / केस स्टडी / चर्चा / स्वाध्याय / संगोष्टी / ट्यूटोरियल / समीक्षा-परीक्षण, जिसमेंसमय-समय पर छात्र के प्रदर्शन और प्राप्तांक से उसे अवगत कराया जाता है।
14	**मुल्यांकन कैसे किया जाता है**	जैसा कि अनुच्छेद क में विस्तृत है
15	**कितनी बार मूल्यांकन किया गया**	जैसा कि अनुच्छेद क में विस्तृत है

IndiaCode

16	**मूल्यांकन के प्रकार**	जैसा कि अनुच्छेद क में विस्तृत है
17	**मूल्यांकन- किस के द्वारा, क्रियाविधि, अपील**	क. प्रत्येक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन केवल 100 अंकों में से होगा, भले ही इसके लिए सौंपे गए क्रेडिट में से कोई भी हो, जहां C1 यह 20 अंकों में से, 30 अंकों के लिए C2 और प्रत्येक 50 में से C3 अंक मापनीय होंगे। ख. आमतौर पर, फैकल्टी सदस्य पाठ्यक्रम प्रशिक्षक हैं, उस विशेष पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों का मूल्यांकन करेंगे।विशेष परिस्थितियों में, अध्यक्ष सीनेट दूसरों द्वारा मूल्यांकन के लिए अनुमति दे सकते है। ग. मूल्यांकन का हिस्सा बनाने वाले घटक संबंधित फैकल्टी द्वारा छमाहि की शुरुआत में (सेमेस्टर के पहले सप्ताह के दौरान) घोषित किए जाएंगे और फिर उस पूरे वर्ग के लिए समान रूप से निर्धारित रहेंगे। घ. प्रस्तावित पाठ्यक्रम चार समान इकाइयों से बना होगा, जैसे कि प्रत्येक इकाई चार सप्ताह में समाविष्ट करने योग्य होती है।C1 पहले दो इकाइयों के सिलेबस, जबकि बाकी दो इकाइयों के लिए C2, पूरा होने को चिह्नित करेगा। ङ. छात्र को विभिन्न घटकों C1, C2 आदि के मूल्यांकन के बाद मूल्यांकन उत्तर लिपियों को दिखाया जाएगा, जैसा कि सीसीएलसीएए अध्यादेश में उल्लेखित है। च. सी 1, सी 2 और सी 3 घटकों में छात्र द्वारा बनाए गए अंकों का विभाजन संबंधित फैकल्टी सदस्य द्वारा बनाए रखा जाएगा जब तक कि, जैसी भी स्थिति हो, छात्र डिग्री / प्रमाणन से सम्मानित नहीं किया जाता है। छ. L, T, P अध्ययन सामग्री वितरण और मूल्यांकन के स्वरूप के तहत सामूहिक आधार पर L, T, और P के लिए मूल्यांकन किया जाएगा जिसका अर्थ है कि चार क्रेडिट का एक पाठ्यक्रम हालांकि L के लिए 2 क्रेडिट, T के लिए 1 क्रेडिट और P के लिए 1 क्रेडिट हो सकता है,मूल्यांकन C1, C2 और C3 हमेशा तीन घटकों को एक साथ ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।हालांकि कोई भी व्यक्तिगत क्रेडिट L, T और P के लिए स्कोर करने योग्य नहीं होगा,जिस छमाही में छात्र है उससे संबंधित फैकल्टी को अपनी कक्षा के पहले सप्ताह के दौरान घोषित करना होगा। ज. C3 घटक में प्राप्तांको के लिए कोई भी आपत्ति के लिए, छात्र उत्तर पत्रिका देखने के तीन दिनों के भीतर संबंधित विभाग प्रमुख / एफसी को अपील कर सकता है, जिसके पश्चात परिणाम के संकलन और प्रकाशन के लिए प्राप्तांक / ग्रेड के बाद AAA विभाग में प्रस्तुत किया जाएगा।
18	**मूल्यांकन - दिनांक, समय और स्थान**	क. शैक्षणिक कैलेंडर के माध्यम से मुल्यांकन की सामान्य अवधि शैक्षणिक अधिष्ठाता / AAA विभाग के कार्यालय द्वारा अग्रिम में घोषित की जाएगी।पाठ्यक्रम (ओं) में से प्रत्येक के मुल्यांकन के लिए तारीख, जबकि, बाद में अलग से संप्रेषित की जाएंगी। ख. C1 मूल्यांकन की तारीखें, समय और स्थान, निर्धारित समय कार्यक्रम के अनुसार, फैकल्टी सदस्य (ओं) जों संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापन करते है, उनके द्वारा घोषित किए

IndiaCode

		जाएंगे। और मेक अप / पूरक परीक्षाओं के लिए भी। तथापि, तिथियों को ईमेल द्वारा कम से कम तीन दिन पहले AAA विभाग में भेजा जाना चाहिएताकि परीक्षा की प्रतियां अग्रिम रूप से फैकल्टी सदस्य को प्रदान की जा सकें। C2 का मूल्यांकन संस्थान के निर्णय के आधार पर केंद्रीकृत तरीके या फैकल्टी सदस्य द्वारा किया जाएगा। ग. C3 मूल्यांकन तिथि, समय और स्थान AAA अनुभाग द्वारा घोषित किया जाएगा और उसे केंद्रीकृत तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में समय सूचि पत्र को अग्रिम घोषित किया जाएगा। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए छात्र को C2 और C3 में उपस्थित होना चाहिए। घ. संबंधित संकाय सदस्य (नों) द्वारा निर्धारित प्रश्न पत्र परीक्षा की तारीख से पहले निर्दिष्ट तिथि के अन्दर परीक्षा प्रकोष्ठ को प्रस्तुत किया जाएगा। परीक्षा प्रकोष्ठ पर्याप्त संख्या में प्रश्नपत्रों को ड्यूटी कर्मचारी को सौंप देगा, जो परीक्षार्थियों को वितरित करेंगे। इसी प्रकार मूल्यांकन समयावधि के अंत में, ड्यूटी पर मौजूद निरिक्षण कर्मचारी उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्रित कर उन्हें परीक्षा प्रकोष्ठ को सौंप देंगे। उसी समय,परीक्षा प्रकोष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं संबंधित फैकल्टी सदस्य को सौंप देंगे। ङ. C1, C2 (समीक्षा टेस्ट / मध्य छमाही) और C3 (छमाही अंतिम परीक्षा) की जाँच की गई उत्तर पत्रिकाओं को, संबंधित छात्र को दिखाए जाने के बाद संबंधित फैकल्टी सदस्य (ओं) को ग्रेड के साथ निर्धारित समयावधि के भीतर, विधिवत हस्ताक्षरित करके, AAA विभाग को सौंप देंगे। सभी छात्रों को संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं को देखाये जाने संबंधित उनके हस्ताक्षरों के रजिस्टर की प्रति भी AAA विभाग को सौंप दी जाएगी। यदि छात्र मूल्यांकन समाप्त होने के पाँच दिनों के भीतर अपनी जाँच की गई उत्तर पुस्तिका को देखने के लिए नहीं आता है, यह समझा जाएगा कि उसकी उत्तर पुस्तिका देखने में कोई रूचि नहीं है और संबंधित फैकल्टी सदस्य द्वारा दिए गए अंकों को अंतिम माना जाएगा। इसके बाद कोई अपील सुनी नहीं जाएगी। च. हस्ताक्षर लेने के पश्चात फैकल्टी द्वारा संबंधित छात्रों को उत्तर पुस्तिका सौंपे जाएंगे, हालांकि उन छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं, दिखाए जाने के बाद भी, उनसे संबंधित मूल्यांकन के विरुद्ध अपनी शिकायत व्यक्त की, संबंधित फैकल्टी सदस्यों द्वारा प्रभारी अधिकारी (ओआईसी), परीक्षा को सौंप दिया जाएगा। छ. केवल कोई भी छात्र विभाग प्रमुख / एफसीके लिए अपील करता है ऐसे स्थिति में, तब उसकी प्रति उसकी अपील के अंतिम निपटान तक रखी जाएगी।
19	**ट्यूटोरियल और अभ्यास सत्र मूल्यांकन**	क. संबंधित फैकल्टी सदस्य अपने स्वयं के मूल्यांकन तंत्र को अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे, परन्तु इसे स्पष्ट रूप से और प्रत्येक छात्र (ओं) को संबंधित पाठ्यक्रम के लिए कक्षाएं शुरू होने के पहले सप्ताह के दौरान सूचित किया जाना चाहिए। ख. मूल्यांकन तंत्र/पद्धति छात्रों के उन वर्ग के लिए एक समान होगा, भले ही छात्र एक या अधिक वर्गों में प्रवेशित हों। ग. अपील के स्थिति में, संबंधित फैकल्टी सदस्य उसके द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन पद्धति का बचाव करने के लिए उत्तरदायी होगा। घ. जैसी स्थति हो, C1 और C2 मूल्यांकन प्राप्तांक, हालांकि, L, T & P में और मूल्यांकन के विभिन्न तंत्र किसी भी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का कुल योग होगा।

		ङ. C3 छमाही अंत की व्यापक परीक्षा है, जिसमें पूरे पाठ्यक्रम को समाविष्ट किया जाता है और इसे दो भागों में लिया जा सकता है, जैसा कि अनुच्छेद 'क' के आइटम नंबर 14 में विस्तृत है, परन्तु प्राथमिकतानुसार घोषित किया जाएगा।
20	**परियोजना का मूल्यांकन**	क. अनुच्छेद 'क' – प्रकल्प मूल्यांकन तंत्र में विस्तार से C1, C2 और C3 घटकों के लिए संबंधित समयावधि में किसी भी अन्य पाठ्यक्रम की तरह ही किया जाएगा। ख. C1 और C2 मूल्यांकन क्रमशः 20 और 40 अंकों के लिए पर्यवेक्षक (ओं) द्वारा किया जाएगा। ग. C3 का मूल्यांकन दो व्यक्तियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, अर्थात् बाहरी विषय विशेषज्ञ, निदेशक द्वारा नामित, पर्यवेक्षक के साथ (परियोजना पर्यवेक्षक के रूप में विभाग प्रमुख/ एफसी के स्थिति में, शैक्षणिक अधिष्ठाता / निदेशक नामित किया जाएगा) । इस प्रयोजन के लिए, संस्थान के किसी अन्य विभाग के विशेषज्ञ को बाहरी विशेषज्ञ के रूप में भी माना जा सकता है, यदि वह इन कार्यों के लिए जाना जाते है और उक्त कार्य में पहले से जुडे नहीं है। C3 मूल्यांकन केवल 40 गुणों के लिए होगा, मात्रजैसा कि अनुच्छेद 'क'के आइटम नंबर 15 में है, उस तरह दो भागों में विस्तृत होगा। घ. अंतिम "प्रमुख परियोजना/ प्रकल्प" यह केवल 8 छमाहीयों के साथ बी.टेक. पूर्ण करने की चाह रखने वाले छात्र के लिए 8वें छमाही का भाग होना चाहिए।
21	**स्व-अध्ययन ऐच्छिक मुल्यांकन**	एक ही C1, C2 और C3 पैटर्न में लिए जाने की सिफारिश करने वाले फैकल्टी द्वारा स्व अध्ययन ऐच्छिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाएगा।
22	**इंटर्नशिप का मुल्यांकन**	इंटर्नशिप मूल्यांकन संबंधित औद्योगिक / संस्थागत परामर्शदाता, जिनके तहत इंटर्नशिप की जा रही है, उनके द्वारा की जाएगी। इस लिए उन्हें C1 और C2 के लिए अंक जमा करने होंगे,जबकि C3 मूल्यांकन के लिए, छात्र को प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट तैयार करनी होगीऔर एक परियोजना मूल्यांकन बोर्ड की तरह एक बोर्ड से पहले इसका प्रत्युत्तर देना होगा। वही बोर्ड C3 मूल्यांकन के लिए अंकों का आवंटन करेगा। सभी अंकों को विभाग प्रमुख कार्यालय / एफसी द्वारा समन्वित किया जाएगा और AAAविभाग में भेजा जाएगा।
23	**परिणाम की तैयारी, घोषणा, ग्रेड शीट, प्रतिलिपि/ आदि**	क. प्रत्येक घटक के बाद स्कोर किए गए अंक संबंधित फैकल्टी द्वारा AAA विभाग को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार प्रेषित किए जाएंगे - सी 1 के लिए छमाही की शुरुआत की तारीख से 9 वें सप्ताह से पहले, सी 2 के लिए 17 वें सप्ताह से पहले और सी 3 के द्वारा 19 वें सप्ताह से पहले और 21 वें सप्ताह से पहले, जहां मेकअप / पूरक परीक्षा का अवसर कुछ छात्रों द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। इन समयसीमा में कमी होने पर, निदेशक, भा.सू.प्रौ.स.एम के पास प्राप्तांक जमा करने होंगे। ख. सीसीएलसीएए अध्यादेश में विस्तृत रूप से प्रत्येक घटक अवधि के अंत में AAA विभाग में प्रत्येक प्रवेशित छात्र के प्रत्येक घटक के प्राप्तांकों को संप्रेषित करने के लिए संबंधित फैकल्टी के साथ AAA विभाग द्वारा छमाही परिणाम संकलन और घोषणा कि जाएगी। ग. जैसी भी स्थिति हो, एआरए / डीआर / जेआर (एएए) विभाग की मुहर और हस्ताक्षर के तहत छमाही अंतिम ग्रेड शीट AAAविभाग द्वारा जारी की जाएगी। इस संबंध में वही एकमात्र वैध दस्तावेज होगा। घ. छमाही अंतिम ग्रेड शीट में ड्रॉप्ड पाठ्यक्रमों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किए गए पाठ्यक्रम से

		दर्शाया जाएगा। ङ. छठे सेमेस्टर के अंत तक एक अंतिम संचयी ग्रेड शीट, छात्रों द्वारा प्रशिक्षण और प्लेसमेंट गतिविधियों में सहभागिता की सुविधा के उपभोग के लिए, अनुरोध और अपेक्षित शुल्क के भुगतान पर जारी किया जाएगा। जैसी भी स्थिति हो, एआरए / डीआर / जेआर (एएए) विभाग की मुहर और हस्ताक्षर के तहत छमाही अंतिम ग्रेड शीट AAA विभाग द्वारा जारी की जाएगी। इस संबंध में वही एकमात्र वैध दस्तावेज होगा। च. जैसी भी स्थिति हो, एआरए / डीआर / जेआर (एएए) विभाग की मुहर और हस्ताक्षर के तहत समेकित आधिकारिक ट्रांस्क्रिप्ट पाठ्यक्रम के यशस्वी समापन के बाद या एक "बाहर निकलें" विकल्प के रूप में जारी किया जाएगा (जैसा कि संस्थान के बी. टेक. डिग्री के लिए अनुच्छेद 'क' में उल्लेखित है)।इस संबंध में वही एकमात्र वैध दस्तावेज होगा। छ. प्रत्येक छात्र द्वारा प्राप्त C1, C2 और C3 अंकों को एक बार कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है, वही AAA विभाग अधिकारी द्वारा "यादृच्छिक मैनुअल परिक्षण" के बाद कंप्यूटर द्वारा "संकलित" किया जाएगा, और अंत में AAA विभाग के एआरए / डीआर / जेआर के जो भी तब सबसे वरिष्ठ उपलब्ध उनके हस्ताक्षर के साथ "परिणाम" के रूप में जारी किया जाएगा।
24	**ग्रेडिंग प्रद्धति और परिभाषा, आदि।**	क. संस्थान 10 स्त रों पर रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम का अनुसरण करता है, जिसमें 10 उच्चतम स्कोर है। ख. ग्रेड निम्नलिखित के साथ संबंधित हैं; I. विशेष फैकल्टी द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन की पद्धति II. वर्ग का प्रदर्शन ग. पाठ्यक्रम ग्रेड प्वाइंट इंडेक्स (जीपीआई) इस प्रकार है; जहां प्रत्येक छात्र के लिए अंक m = C1 + C2 + C3 • C1 का तात्पर्य 20 में से अंक प्राप्त करने से है • C2 का तात्पर्य 30 में से अंक प्राप्त करने से है • C3 का तात्पर्य 50 में से अंक प्राप्त करने से है • कुल प्राप्तांक 100 में से एक सात सूत्री क्रेडिट प्रणाली का पालन किया जाएगा। क्रेडिट प्रणाली का विवरण निम्नानुसार होगा -

निष्पादन	ग्रेड/श्रेणी	जीपीआई
अति उत्कृष्ट	एक्स	10
बहुत अच्छा	ए	9
अच्छा	बी	8
संतोषजनक	सी	7
औसत से कम	डी	6
उत्तीर्ण	पी	5

IndiaCode

अनुत्तीर्ण	एफ	0

छोटी संख्या वाले (<40)छात्रों के लिए अंक आधारित प्रणाली, निम्नलिखित दिशानिर्देश का पालन किया जाएगा।

प्राप्तांक (m)	ग्रेड/श्रेणी	जीपीआई
m > 90	एक्स	10
m > 80	ए	9
m > 70	बी	8
m > 60	सी	7
m > 50	डी	6
m > 40	पी	5
m <= 40	एफ	0

पर्याप्त संख्या में छात्रों (> 40) के साथ अंक आधारित प्रणाली के लिए,निम्नलिखित दिशानिर्देश का पालन किया जाएगा।

प्राप्तांक (m)	ग्रेड/श्रेणी	जीपीआई
m> Mean + 1.5 * σ	एक्स	10
m> Mean + σ to Mean + 1.5 * σ	ए	9
m > Mean + 0.5* σ to Mean + σ	बी	8
m > Mean to Mean + 0.5* σ	सी	7
m> Mean – 0.5* σ to Mean	डी	6
m > Mean – σ to Mean – 0.5* σ	पी	5
m <= Mean – σ (Defined cut Off)	एफ	0

- "Defined Cut Off"=(Mean – σ)

 Mean = $\frac{\Sigma_n m_i}{n}$

 σ = m_i का मानक विचलन

 m_i =C1$_i$ + C2$_i$ + C3$_i$ i-thके लिए छात्र और n= परीक्षा में कुल उपस्थित छात्रों की संख्या

- पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्र को C2 और C3 में उपस्थित होना चाहिए।
- ग्रेड और जीपीआई की ये गणना एक बड़े वर्ग के लिए लागू हैं

घ. किसी छात्र को उस पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए और उस पाठ्यक्रम में क्रेडिट अर्जित करने के लिए 5 का न्यूनतम जीपीआई प्राप्त करना होता है।

IndiaCode

		यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे उस विशेष पाठ्यक्रम में ड्रॉप स्वीकार करना होगा और इसे बाद में (उसी या समकक्ष पाठ्यक्रम में) पंजीकृत करना होगा। ङ. उस अवधि के दौरान जब छात्र C3 घटक को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर सका और मेकअप / पूरक परीक्षा में उपस्थित होना अभी बाकी है, छात्र को "I" ग्रेड से सम्मानित नहीं किया जाएगा, यह दर्शाता है कि उक्त पाठ्यक्रम एक 'अपूर्ण' पाठ्यक्रम है। च. छमाही ग्रेड प्वाइंट इंडेक्स (SGPI) इस प्रकार परिकलित है: $\frac{(GPI \times Course\ Credit_1)+(GPI \times Course\ Credit_2)+.....+(GPI \times Course\ Credit_n)}{\text{(Sum of those Course Credits, for which the student successfully earned the Credits, in that Semester)}}$ छ. एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से, छमाही में सफलतापूर्वक पूरा किए गए पाठ्यक्रमों के साथ, प्रत्येक छमाही में 5.00 का एसजीपीआई प्राप्त करना होगा, इसमें असफल होने पर वह स्वेच्छा से 5 के एसजीपीआई को सुनिश्चित करने के लिए कुछ पाठ्यक्रमों को छोड़ देंगे। ज. पूरक पाठ्यक्रम केवल जीपीआई के पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। झ. पूरक पाठ्यक्रम को छमाही ग्रेड प्वाइंट इंडेक्स (SGPI) या संचयी ग्रेड प्वाइंट इंडेक्स (CGPI) की गणना के लिए नही माना जाएगा । ञ. संचयी ग्रेड प्वाइंट इंडेक्स (सीजीपीआई) की गणना निम्नानुसार की जाती है $\frac{(GPI\ x\ \text{Course Credit}_1)+(GPI\ x\ \text{Course Credit}_2)+\cdots+(GPI\ x\ \text{Course Credit}_n)}{\text{उन पाठ्यक्रम क्रेडिट का योग,जिसके लिए उस छमाही के पूरा होने तक छात्र ने सफलतापूर्वक क्रेडिट अर्जित किया}}$ ट. डिग्री ग्रेड प्वाइंट इंडेक्स (डीजीपीआई)की गणना निम्नानुसार की जाती है $\frac{(GPI\ x\ \text{Course Credit}_1)+(GPI\ x\ \text{Course Credit}_2)+\cdots+(GPI\ x\ \text{Course Credit}_n)}{\text{कुल क्रेडिट को कम से कम 160 क्रेडिट के अधीन दाखिला दिया गया और सफलतापूर्वक पूर्णकिया}}$ ठ. जब कोई छात्र 8.50 या उससे अधिक के डीजीपीआई स्कोर करता है, तो वह "डिस्टिंक्शन" के साथ डिग्री प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। ड. प्राप्तांक के समकक्ष प्रतिशत की गणना निम्नानुसार की जाती है I. एक विशेष पाठ्यक्रम के लिए - जीपीआई x 10 II. एसजीपीआईके लिए - एसजीपीआई X 10 III. सीजीपीआईके लिए - सीजीपीआई X 10 IV. डीजीपीआईके लिए - डीजीपीआई X 10
25	**डिग्री की वापसी / डिप्लोमा / प्रमाणन**	पूछताछ के बाद आश्वस्त होने पर,सीनेट संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य प्रमाण पत्र की डिग्री / डिप्लोमा को वापस लेने का संकल्प ले सकता है। हालांकि, सीनेट द्वारा इस तरह के निर्णय की समीक्षा के लिए, संस्थान के संचालक मंडल को निश्चयात्मक कारणों उद्धृत करते हुए अपील कर सकते हैं।
26		इस मामले के लिए (ऊपर) समविष्ट नहीं किये गये है या अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए, लेकिन उपरोक्त अध्यादेश के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हो रहा है, अध्यक्ष सीनेट को कठिनाइयों को दूर

	कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार	करने और मामलों को निर्णय करने के लिए अधिकृत किये जायेंगे। सीनेट की अगली बैठक में भी इसकी सूचना दी जाएगी।

[फा. सं. 52-2/2017-टीएस.I]

सुखबीर सिंह संधू, अपर सचिव (त.शि.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2019

S.O. 3814(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 34 (1) (2) and (3) of the Indian Institutes of Information Technology (Public-private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Senate with the approval of the Board of Governors, make the following Ordinances of Indian Institute of Information Technology, Kalyani.

The present Ordinance applicable to B.Tech. Degree Programs offered at IIIT Kalyani has two sections as follows:

Section A: Pertaining to Credit Based Continuous Assessment and Award (CCLCAA) Ordinance

Section B: Pertaining to Admissions, Program Layout and Examinations (APE) Ordinance

(Note – Both Sections contain few definitions in the beginning, which have been used in both the sections to imply similarly, until and unless specifically stated otherwise)

SECTION A

Choice & Credit Linked Continuous Assessment and Award(CCLCAA) Ordinance(for B.Tech. Degree Programs offered at IIIT Kalyani)

1	**Background**	The IIIT (PPP) Act 2017 provides for as follows: 19. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, the Senate shall be the principal academic body of the Institute and shall have the power to enact, amend or modify the Ordinances governing academic matters and the affairs and well-being of students. (2) (c) to recommend to the Board about starting of new programmes or courses of study; (d) to specify the broad academic content of programmes and courses of study and undertake modifications therein; (e) to specify the academic calendar and approve grant of degrees, diplomas and other academic distinctions or titles; (f) to appoint examiners, moderators, tabulators and such other personnel for different examinations; (g) to recognise diplomas and degrees of Universities and other Institutes and to determine equivalence with the diplomas and degrees of the Institute; 33. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances of every Institute may provide for all or any of the following matters, namely:— (a) the admission of the students to the Institute; (b) the courses of study to be laid down for all degrees and diplomas of the Institute; (c) the conditions under which students shall be admitted to the degree or diploma courses and to the examinations of the Institute, and shall be eligible for degrees and diplomas; (d) the conditions of award of the fellowships, scholarships, exhibitions, medals and prizes; (e) the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners and moderators; (f) the conduct of examinations; (g) the maintenance of discipline among the students of the Institute; and (h) any other matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinances. These Ordinances are accordingly framed in exercise of the powers so vested in the Senate of the institute with the following aims : 1) To set up a mechanism for Continuous Assessment of the admitted student to the

		B.Tech.Programs of the Institute; 2) To set up a mechanism for continuous assessment based award of Degree / Diploma / Certificate, etc. to the admitted student of B. Tech, subject to the successful completion of Credits by the student(s) as specified thereto.
2.	**Ordinance Name**	This Ordinance shall be called the Credit Based Continuous Assessment and Award Ordinance (CCLCAA Ordinance) for B. Tech. Degree Programs of IIIT, Kalyani
3.	**Ordinance Number**	2019/B.Tech./CCLCAA/01
4.	**New / Revision/Amendment IF A REVISION, Then OLD Ordinance Number**	N/A
5.	**Definitions**	For the purpose of this Ordinance, definitions as follow shall apply: 1) "**Degree**" shall refer to the B.Tech. Degree Program. 2) "**Course**" shall refer to such Course(s) for which a student shall earn Credits after due assessment as per the laid provisions. Each Course shall comprise of Lectures, Tutorials and Practical Sessions. A Course may have either or all the three Components. Project is also treated as a Course. 3) "**Component**" shall refer to academic activities as Lecture (Physical Lecture Session), Tutorial (Participatory Discussion / Self Study / Desk Work / Quiz/ Seminar Presentation, etc. activities that make the student absorb & assimilate, the delivered contents effectively) and Practical / Practice sessions (includes hands on experience / lab experiments/ Field Studies/ Case Studies etc. activities that enable the student to acquire the requisite skill). 4) "**Continuous Assessment**" shall refer to the evaluation of the student spread over the entire semester on the various constituent components of the prescribed course. 5) "**Semester**" shall refer to a period covering the three component periods viz. C1, C2 and C3, including the MAKE UP/Supplementary Exams period. A semester would generally be spread over twenty weeks. 6) "**Course Drop**" shall refer to a student having to undertake a repeat of the Course(s) not being able to complete the Credit requirements of the Course(s), under the conditions stipulated in the Ordinance. 7) "**Make Up/Supplementary Exam**" shall refer to the examination(s) conducted to allow the student to appear in the uncleared /underscored Sem - End C3 component, with a view to accord him an additional opportunity to improve upon his previous score. 8) "**Blank Semester**" shall refer to a Semester in which a student either does not register for any course at the beginning of the Semester OR chooses to DROP all courses OR is so compelled to DROP all the courses, as the case may be. 9) "**Spill Over Semester**" shall refer to the additional semester(s) beyond the completion of prescribed normal semesters. 10) "**Add On Courses**" shall refer to the Courses taken in addition to the regular prescribed courses for the completion of the normal degree, with a view to acquire added proficiency. These courses may be undertaken during and along with the routine semester courses OR additionally during the spill over Semester(s) i.e. upon extra time expenditure. 11) "**AAA Section**" shall refer to the Admissions, Assessment and Award Section of the Institute. 12) "**Equivalent Course**" shall refer to a course, which is projected as having the course component with fairly large amount of commonality with the mapped earlier course. 13) "**Attendance**" refers to the Physical personal presence in an academic activity session. 14) "**Summer Semester**" refers to a Semester that is decided to be held during the intervening period of Even and Odd Semester (i.e. Summer Vacations period). It is at the discretion of the Department concerned and is NOT an essentiality. 15) "**Grade Point**" refers to the quantification of the performance of a candidate in a particular course as defined herein. 16) "**Honourable Exit Option**" refers to the Exit Options available to students, when they are unable to complete the prescribed four year B.Tech. Degree program in six successive years.

		17) In this document, he / him / his / himself etc.are treated to be referring to a student / Faculty Member, without any Gender bias.
6.	**Preamble**	This ordinance is an articulation of the Institute's commitment towards the need of a 'continuous assessment' of its enrolled students, with a view that it enables student(s) to maintain the continuity in learning process, which eases them of the anxiety that un-necessarily peaks up during the Mid and End semester examination because otherwise the assessment process is predominantly such examination based. The proposed framework makes available honourable exit option if a student fails to complete the requirements to earn the degree within the stipulated period.
7.	**Date of Implementation**	The Ordinance shall come into effect from the date as may be decided by the Senate of the Institute or by the Director. Accordingly, the prior Ordinance to this effect / piecemeal policies / practices in vogue at the Institute so far, on the subject / related issues, shall stand superseded, w.e.f. such date.
8.	**For Whom**	The Ordinance is meant for all Undergraduate Students admitted in various B.Tech. Programs at IIIT Kalyani w.e.f. Batch 2019 and onwards.
9.	**Assessment Mechanism**	Continuous assessment takes into account all academic activities undertaken by the student during the current said academic semester, in which a student is enrolled. This entails activities ensuring continuous assessments such as conduct of Review Test(s), Quizzes, Tutorials, Assignments, Practical's, Surprise Tests, Project Work, Term Work, Seminars / Discussions, etc.
10.	**When Assessed**	While the Review Tests would be held during the Semester at the end of said two component C1(average or best of C1a & C1b) &C2 periods respectively, C3 the End Semester Exams shall be scheduled by the AAA Section of the Institute, respective Faculty Member(s) shall declare the schedule of Quiz, Tutorials, Assignments, Seminars, discussions, etc. Some of the components may also however take place in an unscheduled manner like Surprise Tests. However, students shall be made aware of the assessment modalities that are going to be followed in a course by the faculty.
		Review Test : One per Component Tutorials/ Seminars / Discussions: As may be decided by the Faculty I/C of the Course
11.	**How many times assessed**	**Practice / Practical's**: At the end of each Practice / Practical Session **Quiz** :As may be decided by the Faculty I/C of the Course **Assignments**: As may be decided by the Faculty I/C of the Course
12.	**Attendance**	a) At least 75 % attendance is compulsory in every course individually, for being evaluated in a Semester / Summer Semester. b) Attendance is compulsory in the C3 Semester End Examination or MAKE UP/Supplementary Examination, as the case may be. c) Shortage Report only shall be sent by the respective Faculty Member to AAA Section. If it is NIL, a NIL report shall be required to be sent. No report shall be treated as a NIL report. Note - 25% relaxation in attendance includes absence for whatever reasons, including Medical Reasons, Social obligations, Participating/Representing in Sports and/or Cultural events, Placement Activities, etc. All absence shall however be under expressed intimation to the respective FC/HoD for academic purposes and Hostel Warden for Hostel purposes. FC/Office of HoD shall in turn keep the AAA section informed accordingly. d)The senate/Chairman of Senate will have the power to allow relaxation of attendance in spite of above clauses based on due consideration**.**
13.	**Types of Assessment**	**Overall Assessment** **Formative Assessment** (During the Semester) — **Summative Assessment** (At the Semester End) **C1 [C1a C1b]** — **C2** — **C3** Weightage: (20%) — (30%) — (50%) Duration: 4^{th} -5^{th}Wk 12^{th} – 13^{th}Wk — 8^{th} – 9^{th}Wk — 16^{th} -18 Wk (The semester duration is kept flexible to ensure completion of minimum working days equivalent to that of Sixteen Weeks of a semester i.e. 80 + 5 days and weightage may be flexible upto +- 5%)
14.	**Individual Percentage Weight of each Component of**	**Component 1 (C1)= 20%**(C1 will be the average or best of C1a & C1b. C1a & C1b to be completed within 4^{th} – 5^{th}wks and 12^{th} – 13^{th}Wk of the Semester) **Component 2 (C2)= 30%** (To be completed during 8^{th} to 9^{th}Wks) C1 & C2 shall comprise of academic activities like Quiz, Tutorial Assessments,

<table>
<tr><td></td><td>Assessment</td><td>Assignments, MID semester, scheduled towards the end of the Component period, etc, as per the discretion of the Faculty In Charge of the respective Course.
Component 3 (C3)=50% (to comprise of End Semester Examination and to happen during 15th to 18th Week of the Semester).</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Project Assessment Components</td><td>A Project is also treated as a Special Course, with it being evaluated through Components C1, C2and C3, where:
C1 (20%) focuses on research contribution in the project. It refers to assessment on Problem identification & Definition, Literature Survey, Defending the methodology to be adopted for the Project, etc.
C2 (40%) refers to the assessment on the continuous progress, planning, development, and implementation, together with the preparation of a draft report including results, discussion, etc.
C3 (40%) refers to assessment in two parts, based upon Final Presentation, Demonstration / Defence/viva. Part1 (20%) of the evaluation comprises of the Project Report/Thesis Evaluation and final presentation thereon, while the Part 2(20%) of the assessment comprises of demonstration and defence/viva.</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>When will the Assessment Outcome be known</td><td>C3 / End Semester : At the end of the semester
MID Semester: Within three weeks after the conduct of the test.
Tutorials/Seminars / Discussions/Presentations: Within a week after the activity is completed.
Practice Sessions / Practical's: At the end of the Practical Session.
Quiz: Within a week after the conduct of the said Quiz.</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Overall Assessment How & When</td><td>Total assessment shall be the Sum Total / weighted outcome of the various components, subject to relative Scaling and revealed through an expressed statement of Grades / Equivalent Percentage, as stated on the Grade Sheet, in a Scale of 10, duly signed by a competent officer of the AAA Section of the Institute. The Grade Sheet shall be issued generally within one month of the declaration of the Final Result.</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Credit Based Certification Scheme</td><td>The Ordinance provides for award of a suitable Certification based upon the credits actually earned by the Enrolled Student. Any kind of Certification shall however be possible only after the student has completed the normal duration of the Degree Program that is the eight consecutive semesters from the date of admission (without counting the Summer Semester even if such a semester is offered /availed). Thereafter, Certifications as follows shall be considered for award:
<table>
<tr><th>SL. No.</th><th>Certification Name</th><th>NORMAL Course Duration</th><th>Maximal∆ Course Duration</th><th>Credit Requirement</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>B.Tech. Degree</td><td>Four Years (8 Semesters)</td><td>6 Years (12 Semesters)</td><td>A minimum of 160</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Certification* of the Credits earned</td><td>4 Years (8 Semesters)</td><td>6 Years (12 Semesters)</td><td>159 or less</td></tr>
</table>
*Honourable Exit Option only;

i. with NO Direct or Lateral Entry Admission Provisions. Once exited, no resumption is possible, except through a fresh admission in B.Tech. Degree Program through open admission.

ii. Subject to the completion of the normal Course Duration, a student can also voluntarily opt for availing of the Exit option, by making an expressed request to this effect to the AAA Section. Such request, once accepted, shall be irreversible. In such a case however, the student shall have to ensure that fees for all the Eight semesters is duly paid and cleared, before making such a request.

iii. Such Certification, as applicable shall be awarded at the routine Convocation of the Institute.

iv. Years are countable from the date of his/her admission into the B.Tech. Degree Program.

v. Maximal Course Duration as indicated above, includes time spent on all provisions like MAKE UP/Supplementary Exams, DROP Course(s), Blank Semester(s), singularly or in conjunction. It also includes the Summer Semester(s), etc., as may be applicable.</td></tr>
</table>

		Δ Refers to the time period where after the B.Tech. Degree Program automatically stands terminated, leading to the award of the Certification corresponding to the Credits earned during the period.
19.	**Provision of Degree with "Distinction"**	A bonafide student, eligible for award of B.Tech. Degree as per the above Credit Based Certification Scheme, shall, upon securing a Degree Grade Point Index (DGPI) of 8.50 or above, be eligible for getting a B.Tech. "Degree with Distinction". Note - DGPI of 8.491 is NOT roundable to 8.50, BUT 8.495 & above are roundable to 8.50, for the purpose of award of Distinction.
20.	**"Make UP/Supplementary" Examinations**	a) To happen during the 18th to 20th Week of the Semester. b) A Provision primarily for such Student(s) who for some reason secures less than 30% Marks in C3 or 'F' grade on disciplinary ground. ALTERNATIVELY, a student, with prior expressed permission from the Course Faculty) under medical ground or other valid reason) and under intimation to AAA Section, may solicit an exemption from appearing in C3 and appear directly in the MAKE UP/Supplementary Examination. MAKE UP/Supplementary examination cannot however be viewed as an opportunity to improve upon the earlier granted opportunity. Whenever a candidate avails himself of the MAKE UP/Supplementary opportunity, the marks scored in MAKE UP/Supplementary Exams shall be considered for final Grade Calculation. However, the students with less than 30% Marks in C3 or 'F' grade on disciplinary ground, the marks scored in MAKE UP/Supplementary Exams shall be considered for final Grade Calculation with one grade less (except 'P' grade).
21.	**DROP in a Course -How, When, Way out**	a) In a particular Course, if the student secure fail grade 'F' in the overall assessment, then the student is deemed to have dropped in that particular Course. b) In a particular Course, if the attendance is less than 75%, or beyond allowed relaxation, then the concerned student is deemed to have dropped in that particular Course. c) Whenever a candidate opts for Blank Semester(s) / DROP in a course(s), or is so compelled as per the provisions of this ordinance, s/he shall have to study the prevailing Course(s) / Prevailing Equivalent Course(s) offered by the department as per the prevailing scheme, when the student continues his/her study. Equivalent Course(s) shall be recommended by the respective department HoD/FC for the consideration and approval of the Institute Senate, a priori, together with the course content of both - the earlier course as well as the new proposed equivalent course. d) A student may voluntarily choose to "DROP", one or more courses to match his speed of learning. e) A student may have to essentially DROP in one or more course(s), in case his/her SGPI falls below 5.00 considering the courses in the Semester which s/he has successfully completed. Note - A DROP in a course would require a complete repeat of the Course, in all its components, including attendance, etc. in physical presence form.
22.	**"ADD ON" - Credits & Certifications Contd.**	1) In addition to the 160 Credits that a student is required to be enrolled in, a student could additionally enrol himself in few Credit Courses as per below, so as to earn ADD ON Credits: a) B. Tech - Additionally, a minimum of 16 Credits can be earned as ADD On Credits. b) If ALL the 16 ADD ON Credits are earned from the Department of the initial Degree enrolment, the student would get the B. Tech. Degree with Honours (Splsn in xxxxx). All departments would define one or more such specializations and the courses for each such specialization, a priori. c) If the 16 ADD ON Credits are earned from any one of the particular Sister Department of the initial Degree enrolment from interdisciplinary program, the student would get the B. Tech. Degree with Honours (Minor in xxxxx). All departments would define one or more such specializations and the courses for each such Minor, a priori. d) In addition to the Regular Degree an "ADD on Diploma" shall be awarded, if the 16 ADD ON Credits are earned from an assortment of Departments. e) If less than 16 Add-ON credits are earned then Add-ON Certification for xxxx credits) would be issued. 2) The upper limit of Per Semester Credits, for which a B. Tech. student, could at any time enrol himself would NOT exceed 24 Credits 3) ADD ON Courses cannot be registered for during Summer Semester(s) EXCEPT

		when it is for an Internship. 4) The ADD ON Internship and Self Study Elective(s), also follow C1, C2 and C3 pattern of assessment.
23.	**Supplementary Exam / Back Paper Exam Provisions**	None. In conditions as stated at Sl. No. 20 above, the student has to drop the particular course and re-register in the following semester, subject to availability and as per the then prevailing Course(s).In the case of Elective Courses(s), the student may opt to change the elective, which is allowed.
24.	**Spill Over Semesters**	A student can opt to choose, either to move at the prescribed pace of learning or set his own pace of learning, at a slower pace, by utilising the benefit of SPILL OVER Semesters, as per below: a) SPILL OVER Semester(s) provide for completion of re-registered Courses / ADD ON Courses. b) Additional Semesters 9th to 12th shall be available as SPILL OVER Semesters. c) For being enrolled in these Semesters additional fees shall be required to be paid, BUT the same shall be in proportion to the Credit Hours Enrolled for, in that particular Semester. d) Additionally, the students wanting to take ADD ON Courses may utilise these Spill Over Semesters, to earn extra Credits, over and above the regular Degree requirements.
25.	**Summer Semester**	a) Is generally half the duration of a normal semester, yet the Credit Hours requirements shall be satisfied, as the candidate can register for only a maximum of half the normal Credits. b) Offered ONLY at the discretion of the Department concerned, if the number of dropped students in a particular class is less than 10% of the class size (calculated taking all sections of a class together). c) Offered NECESSARILY for those courses in which, more than 10% of a class opts for a DROP in that Course or is so compelled to DROP by virtue of the Ordinances in force. d) Is NOT meant for fresh registrants in any Course. e) DROP cases of past semesters can also seek enrolment, by utilising it as a SPILL OVER Semester. f) Cannot be used for ADD ON Course(s) EXCEPT if the ADD ON Course is because of internship only. g) Attendance criterion shall apply as applicable to other Normal Semester. h) A Maximum of 12 Credit worth dropped Courses can ONLY be registered during the summer semester. i) Prescribed extra fees shall be required to be paid for availing the Summer Semester.
26.	**Blank Semester**	Whenever availed of, s/he cannot register for any Credit(s), towards the requisite 160 Credits required for award of the B. Tech. Degree. S/he may however be permitted to undergo an Internship / Self study Elective(s), STRICTLY, for ADD On credit only.
27.	**Ranks, Medals, etc.**	Only such students, who complete the 160 Credits in the first 8 successive Semesters with CGPA above 8.35 and no disciplinary action recorded, shall be eligible to receive Ranks / Medals / Distinction / Honours etc and be eligible for government funded/ institute sponsored student fellowships / scholarships, freeships, etc.
28.	**Power to remove the difficulties**	For the matter(s) NOT covered herein above or for unforeseen circumstances, but arising during the course of the implementation of the above Ordinance, the Chairman Senate shall be authorised to remove the difficulties and decide upon the matters. The same shall be reported in the next meeting of the Senate, for its consideration.

SECTION B

Ordinance for Admissions, Program Layout and Examinations (APE) for B.Tech. Degree Programs Offered at IIIT Kalyani

1.	**Background**	The IIIT (PPP) Act 2017 provides for as follows: 19. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, the Senate shall be the principal academic body of the Institute and shall have the power to enact, amend or modify the Ordinances governing academic matters and the affairs and well-being of students. (2) (c) to recommend to the Board about starting of new programmes or courses of study;

		(d) to specify the broad academic content of programmes and courses of study and undertake modifications therein; (e) to specify the academic calendar and approve grant of degrees, diplomas and other academic distinctions or titles; (f) to appoint examiners, moderators, tabulators and such other personnel for different examinations; (g) to recognise diplomas and degrees of Universities and other Institutes and to determine equivalence with the diplomas and degrees of the Institute; 33. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances of every Institute may provide for all or any of the following matters, namely:— (a) the admission of the students to the Institute; (b) the courses of study to be laid down for all degrees and diplomas of the Institute; (c) the conditions under which students shall be admitted to the degree or diploma courses and to the examinations of the Institute, and shall be eligible for degrees and diplomas; (d) the conditions of award of the fellowships, scholarships, exhibitions, medals and prizes; (e) the conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners and moderators; (f) the conduct of examinations; (g) the maintenance of discipline among the students of the Institute; and (h) any other matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinances. These Ordinances are accordingly framed in exercise of the powers so vested in the Senate of the institute with the following aims : 1) To set up a mechanism for Continuous Assessment of the admitted student to the B.Tech. Programs of the Institute; 2) To set up a mechanism for continuous assessment based award of Degree / Diploma / Certificate, etc. to the admitted student of B. Tech, subject to the successful completion of Credits by the student(s) as specified thereto.
2.	**Ordinance Name**	This Ordinance shall be called the Ordinance for Admissions, Program layout and Examinations (Hereinafter referred to as Assessment) of the B.Tech. Degree Program students of IIIT Kalyani.
3.	**Ordinance Number**	2018/B.Tech./APE/01
4.	**New / Revision/ Amendment IF A REVISION, Then OLD Ordinance Number**	N/A
5.	**Definitions**	For the purpose of this Ordinance, definitions as follow shall apply: 1) "**Degree**" shall refer to the B.Tech. Degree Program. 2) "**Course**" shall refer to such Course(s) for which a student shall earn Credits after due assessment as per the laid provisions. Each Course shall comprise of Lecture, Tutorial and Practical Sessions. A Course may have either or all the three Components. Project is also treated as a Course. 3) "**Academic activities**" comprise of activities like Lecture (Physical Lecture Session), Tutorial (participatory discussion / self Study / Desk Work / Quiz/ Seminar Presentation, etc. activities that make the student absorb& assimilate, the delivered contents effectively) and Practical / Practice sessions (includes hands on experience / lab experiments/ Field Studies/ Case Studies etc. activities that enable the student to acquire the requisite skill). 4) "**Continuous Assessment**" shall refer to the evaluation of the student spread over the entire semester on the various constituent components of the prescribed course. 5) "**Semester**" shall refer to a period covering the three component periods viz. C1, C2 and C3, including the MAKE UP/Supplementary Exams period. A semester would generally be spread over twenty weeks, except in case of "Summer Semester". Summer Semester is governed by the provisions as contained in the relevant section(s). 6) "**Spill Over Semester**" shall refer to the additional semester(s) beyond the completion of prescribed normal semesters. 7) "**Add On Courses**" shall refer to the Courses taken in addition to the regular prescribed courses for the completion of the normal degree, with a view to acquire

		added proficiency. These courses may be undertaken during and along with the routine semester courses OR additionally during the spillover Semester(s) i.e. upon extra time expenditure. 8) "**AAA Section**" shall refer to the Admissions, Assessment and Award Section of the Institute. 9) "**GPI**" refers to the Course Grade Point Index and is calculated as detailed in the Ordinance subsequently. 10) "**SGPI**" refers to the Semester Grade Point Index and is calculated as detailed in the Ordinance subsequently. 11) "**CGPI**" refers to the Cumulative Grade Point Index and is calculated as detailed in the Ordinance subsequently. 12) "**DGPI**" refers to the Degree Grade Point Index and is calculated as detailed in the Ordinance subsequently. 13) "**Equivalent Percentage of Marks Scored**" refers to the Equivalent Percentage of Marks Scored and is calculable as detailed in the Ordinance subsequently. 14) "**Division**" refers to the Division awarded to the student as per the mechanism detailed in the Ordinance subsequently. 15) "**CCLCAA Ordinance**" refers to the Choice and Credit Linked Continuous Assessment and Award Ordinance of IIIT Kalyani for B.Tech. Degree Programs of IIIT Kalyani and is in Section A of this document. 16) "**HoD**" refers to the Head of the respective Department, where the student is enrolled for his/her Branch of Study. 17) "**FC**" refers to the Faculty Coordinator. 17) "**Internship**" refers to onsite Practical Training offered by reputed companies / Institutions, in India or abroad. To be undertaken only upon prior approval of the respective HoD/FC, through AAA Section.
6.	**Date of Implementation**	The Ordinance shall come into effect from the date as may be decided by the Senate of the Institute or by Director. Accordingly, the prior Ordinance to this effect / piecemeal policies / practices in vogue at the Institute so far, on the subject /related issues, shall stand superseded, w.e.f. such date.
7.	**For Whom**	The Ordinance is meant for all Undergraduate Students admitted in various B. Tech. Programs at IIIT Kalyani w.e.f. Batch 2019 and onwards.
8.	**General B.Tech. Degree Program Layout**	a) In general, the B. Tech. Degree Program shall comprise of Eight Semesters, spread over a period of Four Academic Years. Each academic year shall commence from July / August, with two Semesters starting in July / August (Odd Semester/Autumn Semester) and January (Even Semester/Spring Semester). b) In general the B. Tech. Degree program is a full time residential program, BUT students may be allowed to stay off campus upon explicit request by their respective guardians. Fees etc in such cases shall be governed by rules in such respect. c) First successive Eight Semesters PLUS the included Summer Semester(s), are referred to as Normal Semesters, and the subsequent ones as Spill Over Semesters. (Summer Semester for dropped Courses only). d) The medium of Instruction and assessment is English. e) Institute follows the Continuous Assessment pattern in lieu of the routinely practiced Pass/Fail type end semester based examination pattern. Continuous assessment pattern promotes a win-win situation for each student at his/her own pace and capability. The details are enshrined in the CCLCAA Ordinance of the Institute as in Section A. f) The B. Tech. Degree Program is maximally to be completed in Six Academic Years, after which the student shall have to be exited, as per the scheme enunciated in the CCLCAA Ordinance. g) In order to be conferred with the B. Tech. Degree, a student has to earn at-least 160 Credits, by enrolling himself in various Courses offered during a particular Semester. h) A student can enrol himself for a maximum of 24 Credits per Semester including the dropped Courses. Maximum credit limit may be increased subject to Director's approval. i) Each Student shall register for Core Courses in the respective Semester as prescribed by the department. For Elective Courses however, subject to meeting the laid pre-requisite criterion and the courses being offered, the student can opt in any semester, with prior registration. Elective Courses are available only for a certain maximum

permissible strength. The maximum enrolment strength shall be decided by the respective Department from time to time.

j) Semesters and Credits Spread :

Semester	Normal Successive Semesters								Spill Over* Semesters
	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th to 12th
Duration	July/ Aug- Dec	Jan - May/ June	July- Nov/ Dec	Jan - May/ June	July- Nov/ Dec	Jan - May/ June	July - Nov/ Dec	Jan - May/ June	
Regular Credits	As may be decided by the Department concerned								--
Maximum Cr that can be enrolled into (Including DROPped Courses)	24	24	24	24	24	24	24	24	24

- A student can also opt for a Blank Semester, BUT the regular fees shall have to be paid during every Normal Semester including the Blank Semester.
- Spill Over Semesters can also be utilised for Internship purposes / ADD ON Courses.
- **For dropped Courses only.

k) In case a student can manage the completion of prescribed Credits of 7th Semester, utilising the benefit of registering upto a maximum of 24 Credits in other Semester(s), s/he could become eligible to formally opt for a BLANK 7th Semester. This would enable the student, to take up an internship in any reputed organisation / institution during the 7th semester and earn upto 4 Credits as ADD ON Credits only. Such a student may also be permitted to earn 4 more Credits as ADD ON Credits during such internship tenure, If AND ONLY IF, the department permits him to enroll for self study elective, thus totalling the ADD ON Credits to 8, in the 7th Semester. SELF STUDY Elective would be permissible along with such internship only.

l) There are specific provisions for "Degree with Distinction", "Degree with Honours", "ADD on Diploma", etc, which are as elaborated in the CCLCAA Ordinance separately.

m) A student MUST have a minimum of 75% attendance, in each Course separately, by the end of 16th week; else s/he is considered having dropped the course. In general, the Attendance Calculation shall be done by the 15th Week providing the benefit of attendance to all the students for the remaining period. (If by any chance, in extraordinary situations, the department / Faculty concerned, is unable to compute the attendance percentage of the student in any course, and the student continues to get evaluated, then also, the evaluation does not prevent the dropping of the Course, if at any stage the attendance Criteria is found to be breached). Special permission may be given by Senate/ Chairman Senate based on due consideration.

n) Fees, as prescribed by the Institute from time to time, shall be payable for all Semesters including MAKE UP/Supplementary Exams, Normal Semesters, Spill Over Semester(s), Blank Semester, Summer Semester(s),Transcripts, etc.

9.	**General Layout of Course, Classification,Content Delivery**	a) Content delivery of a Course in the B.Tech. Degree Program shall be through, either or all, of the following Methods: I. Lecture - refers to Lecture Session(s) through classroom contact session. Denoted by "L". II. Tutorial - refers to session(s) consisting of participatory discussion / self study / desk work / brief presentations by students along with such other novel methods that enable a student to efficiently &effectively absorb and assimilate the contents delivered in the lecture sessions. Denoted by "T". III. Practice - refers to Practice / Practical sessions and it consists of Hands on

		experience / Laboratory Experiments / Field Studies /Case Studies / Minor / Major Project, that equip the students to acquire the much required skill component. Denoted by "P". b) In Terms of Credits, every One hour session of L amounts to 1 Credit per semester and a minimum of two hour session of T amounts to 1 Credit per Semester and a minimum of one hour thirty minutes session of P amounts to 1 Credit per semester. c) One semester generally corresponds to a period of 20 Weeks for Teaching Learning and Assessment Process completion, including the MAKE UP/Supplementary Examination opportunity, in case one avails of. d) Each Semester shall have a predefined number of Courses and each Course having predefined Credits. e) Each Course shall have a predefined layout in terms of L - T - P, with separate integer Credits assigned to each of them. f) Course Classification - Any Course shall be classifiable as either of the following: Core Course / Elective Course/Special Course. g) Core Course is the one, which is compulsorily to be studied by the candidate. A Core Course may be termed as a Soft Core, if there is a choice or an option for the candidate to choose a course from a pool of courses from the main discipline / subject of study or from a sister / related discipline / subject which supports the main discipline / subject. In contrast to the term Soft Core, a compulsory Core Course is called a Hard Core Course. (i) Courses listed under "Soft Core", may also be treated as "Elective Course", for the purpose of them being changed, in case of DROP Course. (ii) In case of DROP of a Hard Core Course, same Hard Core Course has to be repeated or else, an Equivalent Hard Core Course has to be taken and passed into. (iii)In case of "Project", the Course "Project" is treated as "Hard Core". In case of a Project DROP however, the Project Title is treated as a "Soft Core" and therefore liable to be changed and done afresh on a new topic. h) Elective Course is generally the one which can be chosen from a pool of courses and which may be very specific or specialised or advanced or supportive to the discipline / subject of study one which provides an extended scope / exposure to some other discipline / subject / domain or nurtures the student's proficiency/ skill. An elective course chosen from an unrelated discipline / subject and could be generic in nature, with an intention to seek exposure is called an Open Elective. An elective course offered to acquire a special / advanced knowledge, such as supplement study / support study to a Project Work and a student studies such a course on his own with an advisory support by a Faculty, is called a Self Study Elective. i) A Course offered as a Core Course in one Program, may be treated as an Elective in another Program or vice versa. j) Project Work / Dissertation Work are referred to as Special Course, as it is a combination of Hard Core and Elective Course ("Project" itself being a 'Hard Core' while the topic being an 'Elective'). k) In case a student successfully completes more than 160 Credits by registering for extra Credits, then the electives in which the candidate has scored better grades would be considered for calculating DGPI at the end. The Credits earned in the excess electives shall be considered for the ADD ON Certification purposes. l) The minimum number of department electives that a student needs to be enrolled in, shall be prescribed by the department concerned. The rest of the electives could be chosen from the ones offered by same department or other departments / Units, including the Open Electives. m) The departments may restrict few Electives to be taken up only as ADD ON Courses, such as Internship(s),Self Study Electives, etc. n) Self Study electives may also be allowed to be availed of during Internships, if approved by the respective HoD/FC, under intimation to AAA section Credits earned out of Self Study elective(s) would be treated as ADDON Credits only. It

<table>
<tr><td></td><td></td><td>would generally be allowed only to meet the specific needs of the Internship. Such electives shall follow the L-T-P Credit Ratio as 0:1:3.

o) Internship shall be allowable in an Industry / Institution of repute, in India or abroad, with prior explicit approval of the respective HoD/FC, with prior expressed concurrence of a Faculty Member of the department in which the student is enrolled in. Internship shall follow the L:T:P Credit Ratio as 0:1:3.

p) Project(s) may also be allowable to be done in Institutions / Industries of repute, in India or abroad, BUT with expressed prior permission of respective HoD/FC and under such intimation to AAA Section. Such project shall also have to be mentored by faculty member of the department. The same Faculty member shall have to accept to be the main guide for that particular student(s) AND the intellectual Property Rights, if any, emanating out of that work, shall be the joint property of IIIT Kalyani, the guide, the student and the respective Institution/Industry, on equal basis.

q) Open Electives in Indian or Foreign Languages, shall be available to only those students who do not have the same language as their mother tongue. Also the language, for which the student has appeared in Class X or XII or equivalent exam, shall NOT be available to him as an Open Elective. Language based Open Electives shall follow the L:T:P Credit Ratio as 1:1:0.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Internship Layout</td><td>a) May be for any of the following durations with corresponding Credits as shown below:

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Internship Duration</th><th>Credits Assigned Under L-T-P Module</th><th>Total Credits Assigned</th></tr>
<tr><td>1</td><td>25 to 30 Days</td><td>0:0:1</td><td>1 Cr</td></tr>
<tr><td>2</td><td>31 to 60 Days</td><td>0:1:1</td><td>2 Cr</td></tr>
<tr><td>3</td><td>61 to 100 Days</td><td>0:1:2</td><td>3 Cr</td></tr>
<tr><td>4</td><td>101 Days and Beyond</td><td>0:1:3</td><td>4 Cr</td></tr>
</table>
b) Internship can be undertaken ONLY upon prior expressed permission of the HoD/FC concerned and the application for the same must be copied to AAA Section for its intimation and insertion in the Software (if any). Application to this effect shall be required to be made at least 3 weeks before the commencement of the intended date of Internship.
c) Provided that the HoD/FC is NOT convinced about the target industry / organisation / institution, the HoD/FC may also decline the permission by rejecting the application.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Admissions</td><td>1) Admission to the four year full time B.Tech. Degree Program of the Institute shall be held as per the policies communicated by Government of India from time to time. Presently the admission is through Joint Entrance Examination (Mains), conducted by CBSE, New Delhi.
2) Reservation Policies as per Govt. of India norms for the Centrally Funded Technical Institutions shall apply, therein.
3) There shall be no provision of any lateral entry into the B.Tech. Degree Program.
4) The Branches to be offered in the B.Tech. Degree Program shall be as decided by the Senate from time to time. At present, however, B.Tech. Degree is awarded in the following Branch i) Computer Science and Engineering.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Branch Change Option</td><td>1) Can be availed of by such students who have been admitted to a four year B.Tech. Degree Program of the Institute, BUT desire to change into another B.Tech. Degree Program of Four Years duration only, offered by a different department, having similar initial admission criterion.
2) Available only once for a batch and that too at the end of the first semester only.
3) A call to this effect shall be made by the AAA Section of the Institute, after the First Semester results of the B.Tech. Degree Program are declared, and the desirous student shall have to apply for the same, to be considered for Branch Change option.
4) Applying for a branch change option does not guarantee of being allowed the change.
5) Option shall be deemed to have been availed off, once the acceptance to that effect has been given by the student to the AAA Section. Option thus availed off is irreversible.
6) A student shall be eligible to apply for a Branch Change option only upon the successful compliance of the following conditions:</td></tr>
</table>

		a) Student should have appeared and successfully cleared all courses of the first Semester of the B.Tech. Degree program in which s/he was initially enrolled in. b) Student should NOT have dropped any course of the first semester. c) Student MUST have scored a SGPI greater than or equal to 7.50, based upon ALLPRESCRIBED Credits for the respective first Semester. d) Conduct of the student in the first Semester at the Institute should be blemish free. 7) In case a student is found involved in any case of misconduct / indiscipline, during the first semester, s/he may be debarred from being considered for Branch Change, despite his qualifying the other academic criterion, as stated herein above. 8) The availability of Branch Change option is subject to the availability of seats in the target Branch. Maximum number of total seats available in any program equals the sanctioned seats in the that program. 9) Branch change option shall be allowable upon the consideration of academic merit, after taking into consideration the conduct of the student AND shall be independent of the category of the student. No reservation rules shall therefore apply under this option. 10) In case of "tie" of first semester result, the decision shall be taken based upon the overall ALL India Rank of the students concerned in the qualifying entrance examination (presently the JEE Mains Examination), based upon which the initial admission was granted into the B.Tech. Degree Program. Student having rank higher than the other shall be given the option first. (Ex. - Amongst the AIRs 2182 and 2282, rank 2182 is treated as the higher rank).
13	**Assessment Philosophy**	Each assessment component is not merely test dominant, but should be problem-solving / practical-practice /mini project work / case study / discussions /assignment / seminar / tutorial / review-test based, such that the performance and score of the student is made aware to him/her, periodically.
14	**How Assessed**	As detailed in Section A
15	**How many times assessed**	As detailed in Section A
16	**Types of Assessment**	As detailed in Section A
17	**Assessment - By Whom, Mechanism, Appeal**	a) Assessment of each Course shall be out of 100 Marks only, irrespective of the Credits assigned to it, whereC1 shall be scalable out of 20 marks, C2 for 30 marks and C3 out of 50 marks each. b) Generally, the Faculty Member(s) who are the Course instructors shall evaluate the students enrolled in that particular Course. In special circumstances, the Chairman Senate may allow for the evaluation by others. c) The Components forming part of assessment shall be announced by the concerned faculty at the beginning of the semester (during the first week of the semester) and shall then remain fixed uniformly for that entire class. d) The proposed syllabus shall be composed of four equitable units, such that each unit is coverable in four weeks. C1 shall mark the completion of first two units syllabus, while C2 for the rest of the two units. e) The Student shall be shown the evaluated answer scripts after evaluation of various components C1, C2 etc, as detailed in the CCLCAA Ordinance. f) Break up of marks scored by the student in C1, C2 and C3 components shall be maintained by the respective faculty member till the student is awarded the degree / certification, as the case may be. g) Under the L,T,P form of content delivery and assessment, assessment shall be done for L,T & P on collective basis which means that a Course of Four Credits may though have 2 Credits for L, 1 Credit for T and 1Creditfor P, the assessment C1, C2 and C3 shall be done always taking into consideration the three components together. Though no individual credits shall be scorable for L,T and P, the respective faculty shall have to declare during the first week of his class the assessment mechanism s/he is going to follow for that semester. h) For any objection to the marks secured in C3 component, s/he may appeal to the respective HoD/FC, within three days of having seeing the answer script, whereafter the scores/Grades shall be submitted to the AAA Section for compilation and publication of the result.
18	**Assessment - Date, Time &Venue,**	a) The general period of assessments shall be declared in advance by the Office of the Dean Academic/AAA section through the Academic Calendar. The exact dates for

		assessment of each of the course(s) shall however be communicated separately later on. b) C1 Assessment dates, time and venue, as per the laid time schedules, shall be declared by the Faculty Member(s) taking the classes for the respective Courses. Also that for MAKE UP/Supplementary Exams. The dates shall however be communicated to AAA Section by email, at least three days in advance, so that examination copies can be provided to the Faculty Member in advance. C2 assessment will be conducted centrally or by faculty member based on the decision of the Institute. c) C3 assessment date, time and Venue shall be declared by the AAA Section and shall be organised in a centralised manner. The date sheet in this respect shall be declared well in advance. Student must appear in C2 and C3 to complete the course. d) Question Paper set by the respective Faculty Member(s) shall be submitted by him to the Examination cell within specified date prior to the date of examination. Examination cell will hand over the question papers in adequate number to the invigilation staff on duty, who shall distribute the same to the examinees. Similarly at the end of the assessment time period, the invigilation staff on duty shall collect the answer scripts and hand them over to the Examination cell. The Examination cell will hand over answer scripts to the respective Faculty Member, then and there. e) The checked answer scripts of C1, C2 (Review Tests/Mid Semester) & C3 (Semester End Examination), after being shown to the respective student shall be handed over by the respective Faculty Member(s) to the AAA Section together with the grade award sheet, within the prescribed time period, duly signed. Copy of the register showing the signatures of all students to the effect that they have seen their respective answer script shall also be handed over to the AAA Section. In case the student does not turn up to see his checked answer script within five days of the assessment being over, it shall be deemed that s/he is not interested in seeing his answer script and the marks awarded by the respective Faculty Member shall be treated as final. No appeal later on in such cases shall be entertained. f) Answer Scripts to be handed over by the faculty to the respective students after collecting the signature, however the answer scripts of those candidates who expressed their grievance against the evaluation, even after being shown the answer scripts, shall be handed over by the respective faculty members to the Officer-in-charge (OIC), Examination. g) ONLY in case any student makes an appeal to the HoD/FC, then his copy shall be retained till the final disposal of his appeal.
19	**Tutorial and Practice Sessions Assessment**	a) The respective Faculty Member shall be free to adopt his own assessment mechanism BUT the same shall have to be communicated explicitly and during the first week of the commencement of the classes for the respective Course to each of the student(s). b) The assessment mechanism shall be uniform for that class of students even if the students are spread over one or more sections. c) In case of an appeal, the respective faculty member shall be liable to defend the assessment methodology adopted by him. d) C1 and C2 assessment scores shall however be the sum total of scores obtained by any student, in L, T & P put together, and different mechanisms of assessment followed, as the case may be. e) C3 is a Semester End comprehensive examination, covering the entire syllabus and may be taken in two parts, as detailed in Item No. 14 of Section A, BUT declared a priori.
20	**Project Assessment**	a) Shall be done for C1, C2 and C3 components, at the respective time periods, just like any other Course, as detailed in Section A - Project Evaluation Mechanism. b) C1 & C2 assessments shall be done by the Supervisor(s) for 20 and 40 marks respectively. c) C3 assessment shall be done by committee of two persons, namely the External Subject Expert, nominated by the Director, along with the Supervisor (In case of the HoD/FC being the Project Supervisor, Dean Academics/Director shall be nominate). For this purpose, expert from another department of the Institute may also be treated as an external expert, if s/he is so known for and is not associated with the said work, a priori. C3 Evaluation shall be for 40 Marks only, BUT in two parts as detailed in Item No.15 of Section A. d) The final "Major Project" shall necessarily be the part of 8th Semester only for a student expecting to complete the B. Tech. Degree in 8 consecutive semesters.
21	**Assessment of Self**	Self Study Electives shall be assessed by the Faculty member recommending the course

<table>
<tr><td></td><td>Study Elective</td><td>to be taken, in the same C1, C2 & C3 pattern.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>Assessment of Internship</td><td>Internship Assessment shall be undertaken by the respective Industrial / Institutional Mentor under whom the internship is being undertaken. S/he shall be required to submit the scores for C1 and C2, while for C3 assessment, the student shall have to prepare a report like a Project Report and defend it before a Board, like a Project Evaluation Board. The same Board shall allocate the scores for C3 assessment. All the scores shall be co-ordinated by the HoD Office/FC and sent to AAA Section.</td></tr>
<tr><td>23</td><td>Result Preparation, Declaration, Grade Sheet, Transcript, etc.</td><td>a) Marks scored after each component shall be communicated by the concerned Faculty to the AAA Section as per the following Schedule - Latest by 9th Week from the date of start of Semester for C1, latest by 17th Week for C2 and latest by 19th Week for C3 and latest by 21st week, where MAKE UP/Supplementary Exam opportunity is being availed of by some students. Upon lapse of these deadlines, the marks shall have to be deposited with the Director, IIITK.
b) Semester wise result compilation and declaration shall be done by AAA section with the respective Faculty communicating the scores of each component, of every enrolled student, to the AAA Section at the end of each component period, as detailed in CCLCAA Ordinance.
c) The semester wise provisional Grade Sheet shall be issued by the AAA Section under the seal & Signatures of AR/DR/JR (AAA) Section, as the case may be. The same shall be the only valid document in this respect.
d) The semester wise Grade Sheet shall depict the Courses enrolled in, the Courses dropped, etc. distinctly.
e) A provisional Cumulative Grade Sheet, for up to the end of Sixth Semester shall be issued upon request and payment of requisite fees, to facilitate participation in Training and Placement activities by the students. Cumulative Grade Sheet shall be issued by the AAA Section under the seal & Signatures of AR/DR/JR (AAA) Section, as the case may be. The same shall be the only valid document in this respect.
f) The consolidated Official Transcript shall be issuable after the successful completion of the Course or at the time of availing an "Exit" Option (as detailed in the Section A for B. Tech. Degree Programs of the Institute), as the case may be, under the seal & Signatures of AR/DR/JR (AAA) Section, as the case may be. The same shall be the only valid document in this respect.
g) Once C1, C2 and C3 marks obtained by each student are feeded into the computer, the same shall be "compiled by" the Computer, followed by "random manual checking" by a AAA Section Official and issued finally as "result" under the signature of AR/DR/JR of the AAA Section, the senior most being available then.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Grading System & Definition, etc.</td><td>a) Institute follows Relative Grading System on a Scale of 10, with 10 being the highest Score.
b) The Grades are relative with respect to :
I. the nature of assessment adopted by the particular faculty.
II. the performance of the class
c) Course Grade Point Index (GPI) is Calculated as follows:
Marks m = C1+ C2+ C3for each student where,
• C1 refers to marks scored out of 20
• C2 refers to marks scored out of 30
• C3 refers to marks scored out of 50
• Total Score out of 100
A seven point credit system will be followed. Detail of the credit system will be as follows –
<table>
<tr><th>Performance</th><th>Grade</th><th>GPI</th></tr>
<tr><td>Excellent</td><td>Ex</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Very Good</td><td>A</td><td>9</td></tr>
<tr><td>Good</td><td>B</td><td>8</td></tr>
<tr><td>Fair</td><td>C</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Below Average</td><td>D</td><td>6</td></tr>
<tr><td>Pass</td><td>P</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Fail</td><td>F</td><td>0</td></tr>
</table>
For marks based system with small number of students (<40), following guideline will be</td></tr>
</table>

followed.

Marks Obtained (m)	Grade	GPI
m > 90	Ex	10
m > 80	A	9
m > 70	B	8
m > 60	C	7
m > 50	D	6
m > 40	P	5
m <= 40	F	0

For marks based system with sufficiently **large number of students (>40)**, following guideline may be followed.

Marks Obtained (m)	Grade	GPI
m> Mean + 1.5 * σ	Ex	10
m> Mean + σ to Mean + 1.5 * σ	A	9
m> Mean + 0.5* σ to Mean + σ	B	8
m> Mean to Mean + 0.5* σ	C	7
m> Mean – 0.5* σ to Mean	D	6
m> Mean – σ to Mean – 0.5* σ	P	5
m <= Mean – σ (Defined cut Off)	F	0

- "Defined Cut Off"=(Mean – σ)

 Mean = $\frac{\sum_n m_i}{n}$

 σ = standard deviation of m_i

 m_i =$C1_i + C2_i + C3_i$ for i-th student and n= total number of students appeared in the paper
- Student must appear in C2 and C3 to complete the course.
- These calculations of Grade and GPI are applicable for a large class

d) A student has to obtain a minimum GPI of 5 in order to successfully complete the requirements of that particular Course and also to earn Credits in that Course. In case s/he fails to do so then s/he has to accept a DROP in that particular Course and re-register it subsequently (in the same or Equivalent Course).

e) During the period when the student could not successfully clear the C3 component and is yet to appear in the MAKE UP/Supplementary Examination, the student shall be notionally awarded "I" Grade, indicating that the said course is an 'Incomplete' Course.

f) Semester Grade Point Index (SGPI) is Calculated as follows:

$$\frac{(GPI \times Course\ Credit_1) + (GPI \times Course\ Credit_2) + \ldots\ldots\ldots + (GPI \times Course\ Credit_n)}{\text{(Sum of those Course Credits, for which the student successfully earned the Credits, in that Semester)}}$$

g) A Students shall necessarily have to score a SGPI of 5.00 in every semester individually, with the successfully completed courses in that semester, failing which s/he shall voluntarily DROP few Courses to ensure a SGPI of 5.00.

h) ADD on Courses shall qualify for award of GPI ONLY.

i) NO SGPI / CGPI shall be calculable considering the ADD ON Courses.

j) Cumulative Grade Point Index (CGPI) is calculated as follows:

$$\frac{(GPI\ x\ \text{Course Credit}_1) + (GPI\ x\ \text{Course Credit}_2) + \cdots + (GPI\ x\ \text{Course Credit}_n)}{\text{Sum of those Course Credits, for which the student successfully earned the Credits, until the completion of that Semester}}$$

k) Degree Grade Point Index (DGPI) is calculated as follows:

$$\frac{(GPI\ x\ \text{Course Credit}_1) + (GPI\ x\ \text{Course Credit}_2) + \cdots + (GPI\ x\ \text{Course Credit}_n)}{\textit{Total Credits Enrolled and Successfully Cleared, subject to a minimum of } 160\ \textit{Credits}}$$

l) When a student scores a DGPI of 8.50 or above, s/he shall be eligible to get the Degree with "Distinction".

m) Equivalent Percentage of Marks Scored is calculable as follows:

I. For a particular Course - GPI x 10

		II. For corresponding SGPI - SGPI X 10 III. For corresponding CGPI - CGPI X 10 IV. For corresponding DGPI - DGPI X 10
25	**Withdrawal of Degree / Diploma /Certification**	Consequent upon being convinced, following an enquiry, the Senate may resolve to withdraw the Degree /Diploma any other certification provided by the Institute. The aggrieved may however prefer for a review of such decision by the Senate, citing cogent reasons for review or go in for an appeal to the, Board of Governors of the Institute.
26	**Power to remove the difficulties**	For the matter(s) NOT covered herein above or for unforeseen circumstances, but arising during the course of the implementation of the above ordinance, the Chairman Senate shall be authorised to remove the difficulties and decide the matters. The same shall be reported in the next meeting of the Senate.

[F. No. 52-2/2017–TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2019

का. आ. 3815(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

विषय-वस्तु

अध्यादेश 176

विनियम 176

आर.1 कार्यक्रम की अवधि 176

आर.2 प्रवेश 177

आर.3 फीस का ढांचा 177

आर.4 कार्यक्रम का ढांचा 177

आर.5 पाठ्यक्रम योजना 178

आर.6 संकाय परामर्शदाता 178

आर.7 कक्षा समिति 178

आर.8 नामांकन और पंजीकरण 179

आर.9 पाठ्यक्रम जोड़ना/ड्रॉप करना 179

आर.10 कार्यक्रम की न्यूनतम और अधिकतम अवधि 179

आर.11 साख पंजीकरण में लोचशीलता 179

आर.12 अध्ययन से अस्थायी अवकाश 180

IndiaCode